

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2025 को आहूत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

4. श्री सरवणन एम0, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
5. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
6. श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर - सदस्य।

कार्यवाही:-

5. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
6. विगत बैठक दिनांक 30.01.2025 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
7. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
8. सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

| क्र0 | परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक | विषय |
|------|---|---|
| 1 | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 | वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में। |
| 2 | परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति। |
| 3 | उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021 | राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश एवं शपथ-पत्र, वांछित कागजात। |
| 4 | बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985 | राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में। |
| 5 | विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991 | राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में। |
| 6 | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023 | वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में। |
| 7 | सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 | बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में। |
| 8 | सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 | सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में vehicle location tracking device स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में। |
| 9 | परिवहन विभाग, बिहार अधिसूचना संख्या 8866 दिनांक 09.07.2024 | मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने के संबंध में। |

६ १ २

5. माह फरवरी-2025 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त हुए कुल-34 आवेदनों एवं पूर्व के लंबित 01 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसका समेकित विवरण निम्नवत् है:-

| नये आवेदन | दिसम्बर 2024 का लंबित आवेदन | स्वीकृत | अस्वीकृत | आवेदन वापस | अगली बैठक में निर्णय हेतु सुरक्षित |
|-----------|-----------------------------|---------|----------|------------|------------------------------------|
| 34 | 01 | 16 | 14 | 01 | 04 |

6. प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024 एवं 14.11.2024 को समय अन्तराल पर सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय निम्नवत् है :-

(क) प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पटना या मुजफ्फरपुर से किसी भी मार्ग पर परिचालित वाहनों के प्रस्थान समय के पहले या बाद में न्यूनतम 3 (तीन) मिनट समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर किसी अन्य पड़ाव स्थल से परिचालित वाहनों के लिए मार्ग भिन्न होने की स्थिति में यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम हो तब भी प्रारंभिक स्थल पर पहले या बाद में न्यूनतम समय अन्तराल 3 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा। यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक हो तो प्रारंभिक स्थल पर पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले या बाद में (Before/After) न्यूनतम 03 (तीन) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले या बाद में 03 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहनों का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट (पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर) अनुमान्य होगा, परन्तु मार्ग भिन्न एवं कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने पर पहले या बाद में समय अन्तराल 3 मिनट अनुमान्य होगा।

7. **Overlapping of Route** एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है, दूसरे मार्ग के परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो एवं एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से कम आच्छादित करता हो तो दोनों मार्गों को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गों को समान मानते हुए तदनुसार परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा।

8. नये आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :- परमिट निर्गत करने हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन, प्रकाशित समय-सारणी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर लिया जाता है। किसी प्रकार का त्रुटि न हो इसके लिए कार्यालय अभिलेख के रूप में निम्नलिखित कागजातों की पठनीय/स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक है :-

- (i) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

✱

✱

✱

- (ii) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (iii) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र (Fitness) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (iv) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (v) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (vi) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (vii) HSRP स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
 (viii) आवेदित मार्ग का वैध नक्शा।
 (ix) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।
 (x) विहित प्रपत्र में 22 बिंदु का शपथ-पत्र।

नोट:- शपथ पत्र पर निबंधन पुस्त के अनुरूप ही वाहन स्वामी का नाम/पता अंकित किया जाएगा।

- (xi) वाहन के अन्दर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)
 (xii) वाहन स्वामी का आधार कार्ड/पैन कार्ड/आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 (xiii) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर।
 (xiv) वाहन के चालक एवं कंडक्टर की अनुज्ञप्ति स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 (xv) पुराना परमिट समय-सारणी के साथ (यदि वाहन परमिट से आवृत्त हो)
 (xvi) बैनर का नाम (बैनर अंतर्गत परिचालित सभी वाहनों की सूची अवश्य संलग्न करें)
 (xvii) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं० एवं पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रूपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
 (xviii) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -मार्ग संख्या के साथ अंकित भाया के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन करते हुए उसकी मूल प्रति समर्पित की जाए। दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर एवं अधिसूचित मार्ग के अनुरूप पड़ाव स्थल अंकित नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा शपथ-पत्र में उल्लेख करना होगा कि समय-सारणी में कहीं भी गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

समय-सारणी का प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

| पड़ाव स्थल | वाहन के आगमन का समय | वाहन के प्रस्थान का समय | दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी | उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

9. आवेदित वाहनों के समय-सारणी का प्रकाशन:-

- (i) प्राधिकार के निर्णयानुसार आवेदक द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं मूल संचिका में संलग्न समय-सारणी को बिना संशोधित किए दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु कार्यालय के वेबसाइट पर तथा सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना है। अतः आवेदक की जिम्मेवारी है कि अधिसूचित मार्ग संख्या एवं अंकित भाया के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन एवं त्रुटि रहित समय-सारणी समर्पित की जाए। ऑनलाईन एवं ऑफलाइन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 (ii) यदि किसी वाहन को परमिट की स्वीकृति दी जाती है तथा बाद में समय-सारणी या वाहन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होता है, तब प्राधिकार द्वारा तथ्यों की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

६ ४ ७

10. आपत्ति आमंत्रित करना:-

(i) प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदनों को एजेंडा के रूप में संकलित किया जाता है एवं "पहले आओ-पहले पाओ" First in-First out (FIFO) के नियम के आधार पर आवेदन को तिथि/समय के क्रमानुसार संधारित किया जाता है।

(ii) समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति के लिए शुल्क के रूप में 1000/-रु० निर्धारित है।

(iii) प्राधिकार को समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति से इतर किसी विशेष सूचना देने पर कोई आपत्ति शुल्क देय नहीं है। कार्यालय सूचना को एजेंडा/प्रोसिडिंग में प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

11. आपत्तिकर्ता का दायित्व :-

(i) आपत्तिकर्ता परमिट से आवृत वाहनों से ही आपत्ति दर्ज करेंगे एवं आपत्ति करते समय संबंधित वाहनों के सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, इन्श्यूरेंस, फिटनेस, प्रदूषण, एच०एस०आर०पी०, भी०एल०टी०डी० अद्यतन एवं अधिरोपित जुर्माना की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा मान्य कागजात/जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना रु० 10000/- अधिरोपित किया जाएगा तथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का आवेदन स्वयं उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारणवश वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हो सके तो अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण पत्र एवं संबंधित प्रतिनिधि का पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करते हुए कार्यालय के काउण्टर पर जमा किया जा सकता है।

(iii) प्रायः देखा जा रहा है कि वास्ते लिखकर एक प्रतिनिधि द्वारा अनेक वाहन स्वामी का हस्ताक्षर कर बेवजह आपत्ति दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवांछित आपत्ति प्राप्त होता रहता है एवं कार्यालय का समय बर्बाद होता है। अतः आपत्ति/आवेदन की प्रमाणिकता स्थापित हो सके इसके लिए भविष्य में वास्ते से हस्ताक्षरित सभी आवेदन /आपत्ति में वाहन स्वामी का प्राधिकरण पत्र एवं पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। प्राधिकरण पत्र की एक मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर छायाप्रति को मूल कार्यालय प्रति से मिलान किया जा सके।

(iv) कार्यालय में किसी काम से आनेवाले प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ वाहन स्वामी द्वारा उनके नाम से निर्गत प्राधिकरण पत्र के साथ मान्य पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है, जाँच के दौरान उक्त का उल्लंघन करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

(v) यदि किसी वाहन स्वामी को अपनी शिकायत/बात रखनी हो तो इस प्राधिकार का ई-मेल:- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर जानकारी को ऑनलाईन भेज सकते हैं अथवा संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत, मुजफ्फरपुर के समक्ष उपस्थित होकर शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं।

12. वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :- सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

| क्र० सं० | बस की आयु (वर्ष में) | प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में) |
|----------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 0-5 | असीमित |
| 2 | 5-10 | 600 |
| 3 | 10-15 | 400 |
| 4 | 15 वर्ष से अधिक | 100 |

* * *

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे।

13. **गति सीमा का पालन :-** सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-8 में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

सामान्य बस- 20-60 कि०मी०/घंटा

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत-10-60 कि०मी०/घंटा

नोट:- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत क्रय किए गए वाहनों का परमिट हेतु आवेदन केवल मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (MMPPY) अन्तर्गत अधिसूचित/निर्धारित मार्ग पर ही स्वीकार किया जाएगा।

14. **बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :-** सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ (i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लें।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि बसों की जाँच उपरोक्त निदेशानुसार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

15. **सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में Vehicle Location Tracking Device स्थापित एवं सक्रिय होना:-** सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी अधिकांश बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित नहीं कराया गया है।

अतएव सभी वाहन मालिकों को निदेश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे।

✍ ✍ ✍

साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि बसों में V.L.T.D. की सक्रियता की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें।

16. **उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ :-** जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की अगली बैठक में "पहले आओ-पहले पाओ" **First in-First out (FIFO)** के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।

17. **स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण :-**

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।

- (i) परमिट की मूल प्रति।
- (ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (यदि वाहन हाईपोथिकेशन पर हो)
- (iii) प्रयोजन का साक्ष्य।
- (iv) आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (v) सनहा (यदि परमिट खो गया हो/नष्ट हो गया हो)

नोट :-स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण (यदि फाईनेन्सर द्वारा गाड़ी की नीलामी की गई हो) :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) परमिट की मूल प्रति।
- (ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (iii) फाईनेन्सर का अनुशंसा पत्र (विक्रय किए गए वाहन स्वामी का सभी संबंधित दस्तावेज अनुलग्नक के साथ)
- (iv) प्रयोजन का साक्ष्य।
- (v) फाईनेन्सर का निबंधन संबंधी साक्ष्य।
- (vi) सनहा (यदि परमिट की मूल प्रति फाईनेन्सर को सुपूर्द नहीं किया गया हो)

18. **स्टेज कैरेज परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई :-**

परमिट से संबंधित इस प्राधिकार के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय, राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना के निर्णय एवं विभागीय निदेश के आलोक में समय-समय पर सूचनाओं को समाचार पत्र एवं इस प्राधिकार के वेबसाइट के माध्यम से प्रचारित किया जाता है तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम-1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989, बिहार मोटरयान नियमावली-1992 एवं बिहार करारोपण अधिनियम-1994 की सुसंगत धाराओं एवं नियम के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाती है।

19. **बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :-**सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गयी कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराहन् 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

३

५

७

20. सशर्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :- प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से जिन आवेदनकर्ताओं का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से जमा कराकर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आगामी बैठक से पहले तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को खाली कर दिया जाएगा।

कई वाहन स्वामियों द्वारा आवेदन दिया गया है कि कोर्ट में जुर्माना लंबित होने के कारण अनुपालन में देरी होती है, वैसे वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि प्रतिमाह आवेदन देने के अंतिम तिथि के पूर्व सभी जुर्माना जमा करा कर निष्पादन करा लें। जुर्माना जमा होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किया जायेगा। कोर्ट में लंबित जुर्माना निष्पादित करने हेतु कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

21. कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर, बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरिटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)

22. परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाइम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन स्वामी परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इस तरह के मामले पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी डी0टी0ओ0 को जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

23. परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहनों की जाँच :- इस प्राधिकार के आदेश सं0- 3040 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा वाहनों का भौतिक सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर (तिरहुत प्रमंडल) में पदस्थापित मोटरयान निरीक्षक को प्राधिकृत किया गया है। अतः प्राधिकार के परमिट से संबंधित सभी वाहनों का निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन: मोटरयान निरीक्षक, आर0टी0ए0 मुजफ्फरपुर)

25. परमिट के नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन करने के संबंध में निर्णय :- परमिट नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं ऑनलाईन किये जाने वाले वैसे मामले :-

(i) जिसमें परमिट पर अंकित सभी भाया संबंधित मार्ग पर अच्छादित/अंकित हो तो उस मार्ग के अन्य ठहराव स्थल को बाईपास कर परमितों का नवीकरण किया जा सकेगा।

६

४

७

- (ii) जिसमें अधिसूचित मार्ग पर अंकित भाया से पुराने परमितों में अंकित कुछ भाया अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, तो वैसे मामलों में संबंधित वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में उनसे प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से निर्गत शपथ-पत्र के साथ सहमति पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त भाया को विलोपित करते हुए जाँचोपरान्त यथा उपयुक्त अधिसूचित मार्ग पर नवीकरण/प्रतिस्थापन किया जा सकेगा।
- (iii) जिसमें अबतक मार्ग अधिसूचित नहीं हो पाया है उसे परिवहन विभाग, बिहार, पटना को मार्ग अधिसूचित करने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। इस तरह के मामले पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, की बैठक में आवेदनों के निष्पादन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
25. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8135 दिनांक 23.11.2020, पत्रांक 8473 दिनांक 14.12.2020, पत्रांक 8471 दिनांक 14.12.2020 एवं ज्ञापक 13100 दिनांक 30.10.2024 के आलोक में वाहन परिचालन हेतु निर्गत किये गये परमित का शत-प्रतिशत इन्ट्री वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में किया जाना बाध्यकारी है। इस हेतु सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कार्यालय से दिनांक 15.11.2024, दिनांक 26.11.2024, दिनांक 29.11.2024 तथा दिनांक 07.12.2024 को सभी वाहन स्वामियों को आम सूचना द्वारा सूचित किया गया था कि प्राधिकार द्वारा निर्गत मैनुअल परमित को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री करवाना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अभी तक इस कार्य हेतु बहुत ही कम आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राधिकार द्वारा निर्गत वैसे परमित जिसे अभी तक वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री नहीं करवाया गया है उसे 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से मैनुअल परमित टाईम स्लॉट के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी मैनुअल परमित को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री करवाया जा सकें। अन्यथा वर्णित समयवधि के बाद मैनुअल परमित का टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, प्राधिकार की आगामी बैठक में मैनुअल परमित से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा की गई शमन कार्रवाई या अन्य शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
26. **प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :-** प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे।
27. **कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों के कागजात की जाँच कर** संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा कृत कार्रवाई की सूचना बैठक से एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को भी देंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।
अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित वाहनों के कागजात की जाँच कर सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो।
28. **समान मार्ग संख्या वाले परमित से कार्यालय अभ्युक्ति अंकित किया जाना :-** कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमितों के मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमित से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त होती है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।
29. **परमित यात्रियों की सुविधा हेतु:-** क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमित स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार-पाँच परमित प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है, ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें।

8 1 07

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें एवं यात्रीगणों को सुविधा मिले।

30. **फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :-** प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सभी बसों के बीमा प्रमाण-पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया गया। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

31. **आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :-**

(क) वाहन स्वामियों को पुनः निदेश दिया गया कि परमिट से आवृत्त वाहनों के लिए किसी अन्य मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले पूर्व का परमिट कार्यालय में प्रत्यर्पित कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत किया जा सके, अन्यथा बाद में प्रत्यर्पित परमिट पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन पूर्व से परमिट से आवृत्त है एवं उसी वाहन से उसी मार्ग पर नया परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया हो तो परमिट प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन के समय का टकराव उनके अन्य परमिट आवृत्त वाहन से हो रहा हो एवं वाहन स्वामी खेप कटाव नहीं चाहते हों तो इसके लिए पूर्व निर्गत परमिट को बैठक की तिथि से बैठक की तिथि छोड़कर सात दिन पूर्व तक प्रत्यर्पण करना आवश्यक है।

नोट :-राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में स्थायी परमिट का प्रत्यर्पण परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह के बाद ही किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्यर्पण की शर्त पर नया परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

32. **दो पड़ावों के बीच दूरी :-** कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाएगा। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा।

33. **High Security Registration Plate :-** केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के समक्ष परमिट हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न फोटो की जाँच करने पर पता चलता है कि कतिपय वाहनों में H.S.R.P. नहीं लगा है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वे अपने सभी परमिट आवृत्त वाहनों एवं आवेदित वाहनों पर H.S.R.P. लगाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व से लगाये H.S.R.P. को वाहन पोर्टल पर अद्यतन कराना भी सुनिश्चित करें यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। H.S.R.P. अद्यतन नहीं होने पर प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि H.S.R.P. अद्यतन कराने संबंधी वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करें एवं अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी वाहनों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करें।

34. नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा।
35. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- अपर सचिव परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14344 दिनांक-11.12.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत परमिट प्राप्त करने हेतु मार्गों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि (i) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभुक वाहन का परिचालन अपने प्रखंड से/होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक के लिए परिवहन विभाग के अधिसूचित मार्ग का चयन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय में अवश्य हो जहाँ के लिए उक्त योजनान्तर्गत लाभुक का चयन किया गया है। (ii) यदि लाभुक कोई नया मार्ग हेतु आवेदन देना चाहते हैं जो उनके प्रखंड मुख्यालय से होते हुए/से जिला मुख्यालय/निकटवर्ती जिला मुख्यालय को जाता हो तो नया मार्ग को अधिसूचित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जा सकता है, ताकि परिवहन विभाग से मार्ग अधिसूचित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। इस योजना से आच्छादित लाभुकों को परमिट हेतु आवेदन संबंधित सारी जानकारी देने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
- (अनुपालन: सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमंडलान्तर्गत)
36. वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं0 अद्यतन कराने के संबंध में :- परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा चालक अनुज्ञप्ति तथा वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र से मोबाईल नं0 लिंक नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश संसूचित है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं0 अद्यतन करा लें अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
37. ए0टी0एस0 द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र पर निर्णय :-राज्य सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के द्वारा वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मोटरयान निरीक्षक (MVI) को सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 7795 दिनांक 15.05.2024 द्वारा फिटनेश प्रमाण पत्र का निर्गमण सक्षम प्राधिकार (मोटरयान निरीक्षक) के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर के उपरान्त VAHAN AFMS पोर्टल से करने हेतु निदेश संसूचित है। अतः ए0टी0एस0 द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र उक्त के अनुरूप नहीं होने के कारण प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से अवैध मानते हुए संबंधित वाहन के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।
38. (क) स्टेज कैरेज परमिट का स्वामित्व हस्तान्तरण :-
परमिट होल्ड करना :-
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।
(i) परमिट की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

* ✍ ✍

- (ii) प्राधिकार को की गई सूचना की स्वअभिप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो सक्षम प्राधिकार से निर्गत वंशावली)²³
 (iii) वाहन स्वामी की स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड/मृत्यु की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।

(ख) परमिट रिस्टोर करना :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) परमिट की मूल प्रति।
- (ii) वाहन के सभी मान्य कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (iii) स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड।
- (iv) प्रयोजन का साक्ष्य।
- (v) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं० एवं पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
- (vi) स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का फोटो (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)
- (vii) मोटरयान निरीक्षक, का जाँच प्रतिवेदन। (परमिट पुर्नस्थापित करने संबंधित वाहन का)

(ग) नये एजेंट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।
- (iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (v) आवेदक का फोटो-03

(घ) एजेंट अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।
- (iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (v) आवेदक का फोटो-02
- (vi) एजेंट अनुज्ञप्ति की मूल प्रति।

39. स्थायी स्टेज कैरेज परमिट से संबंधित प्राधिकार का अन्य निर्णय :-

(i) बिहार मोटरयान नियमावली-1992 के नियम-79(1)(c) के अनुसार स्टेज कैरेज परमिट आवृत वाहनों को यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्राधिकार द्वारा अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार निर्धारित रूट पर नियमित रूप से परिचालन किया जाना है। अतः स्थायी परमिट से आवृत बसों को यात्री हित में देखते हुए स्पेशल परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा। केवल स्पेयर वाहनों/बसों को ही स्पेशल परमिट दिया जाएगा।

(ii) परमिट से आवृत वाहनों का परिचालन अनुमान्य दूरी के अनुरूप किया जाना है, वाहन स्वामियों का दायित्व है कि निर्धारित समय सीमा में वाहनों को उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

३

३


३


(iv) बिहार मोटरयान नियमावली-1922 के नियम-16(c) एवं 29(i) के अनुसार वाहन चालक तथा कंडक्टर का दायित्व है कि वाहन के यात्री कम्पार्टमेंट को साफ एवं स्वच्छ रखें जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य-रक्षा सुनिश्चित हो सके, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों/कंडक्टरों/वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


(v) किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन नहीं किया जाएगा।

40. परमिट संबंधी मामलों में जनहित एवं जीवनक्षति को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त के अलावे प्राधिकार द्वारा अन्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं।

स्वच्छ एवं स्वस्थ व्यवस्था बनाने में वाहन स्वामियों, आपत्तिकर्ताओं एवं अन्य पक्षकारों से अपेक्षाओं के साथ अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


अपर/समाहर्ता,
(राजस्व)
मुजफ्फरपुर।


28.02.25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।


28/02/25
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक.....113...../

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।


प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


28.02.25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

केन्द्रीय पाठ्यक्रम प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के प्रकोष्ठ

दिनांक-28.02.2025 की कार्यावली।

समय:-11:00 बजे पूर्वाह्न से,

स्थान:-आयुक्त कार्यालय, प्रकोष्ठ

३

५

७

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक दिनांक-28.02.2025 की कार्यावली।

पृष्ठ सं०

| कार्यावली सं०-(1) | 1 | गत बैठक दिनांक 30.01.2025 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन | परिशिष्ट-I | | |
|-------------------|---|--|--------------|--|--|
| कार्यावली सं०-(2) | प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची। | | परिशिष्ट-II | | |
| | (I) | बस का अस्थायी (विशेष) परमिट - (01 से 28 दिन) तक। | | | |
| | (II) | दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक। | | | |
| | (III) | ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए) | | | |
| | (IV) | जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए) | | | |
| | (V) | नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्ष)। | | | |
| | (VI) | प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी प्रतिस्थापन किये गये परमिटों की सूची। | | | |
| | (VII) | अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामंतरित एवं रद्द किये गये परमिटों की सूची। | परिशिष्ट-III | | |
| कार्यावली सं०-(3) | (i) | बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार। | परिशिष्ट-IV | | |
| | (ii) | एजेन्ट लाईसेन्स के प्राप्त आवेदनों पर विचार। | परिशिष्ट-V | | |

✍

✍

✍

| <u>कार्यावली संख्या-2(I-V) परिशिष्ट-II</u> <u>प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची:-दिनांक 31.01.2025 से 28.02.2025 तक।</u> | |
|--|---|
| 1 | बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (01 से 28 दिन)-अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या- BR2025-SPL-3596A तक। |
| 2 | दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)- अस्थायी परमिट संख्या - शून्य। |
| 3 | ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य। |
| 4 | जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भारी वाहन का स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य। |
| 5 | नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (01 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य। |





| कार्यावली संख्या-2 (VI) परिशिष्ट-II | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गये परमितों की सूची। | | | | | |
| क्र०सं० | वाहन स्वामी का नाम/पता | वाहन संख्या /निबंधन की तिथि | परमित संख्या | नवीकृत परमित की वैधता | अभियुक्ति |
| 1 | श्रीमती उषा कुमारी, पता-मधुरापुर, जिला-वैशाली। | BR31AD9107 / 14-06-2018 | 280/2019 | 5/9/2029 | |
| 2 | अमर ज्योति कैरियर प्रा०लि०, पता-एजीबीजन रोड़, पटना, जिला-पटना। | BR06PD4451 / 07-04-20217 | 000286/2014 | 12/10/2029 | |
| 3 | गुप्ता ट्रांसपोर्ट, पता- उमा मार्केट मोतीझील, टाउन, जिला-मुजफ्फरपुर। | BR06PC8551 / 23-06-2015 | 0354/2009 | 27/08/2029 | |
| 4 | श्री नितिन शंकर, पता- गोला रोड़ दानापुर, पटना, जिला- पटना। | BR01PC6702 / 13-09-2011 | BR2020-SC-0083A | 22/01/2030 | |
| 5 | श्री राकेश कुमार मिश्रा, पता- बलहा, थर्मा, गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर। | BR06PD6951 / 18-09-2017 | 000299/2014 | 19/10/2029 | |
| 6 | श्रीमती सरोज देवी, पता- कृष्णा कॉम्प्लेक्स वार्ड नं०-09, बारा चकिया, जिला- पूर्वी चम्पारण। | BR05PB6996 / 18-07-2024 | BR/106/SC/105/2010 | 9/2/2030 | |
| 7 | श्रीमती खुशबु कुमारी, पता- शर्मा होटल के बगल में, राजेन्द्र नगर, मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण। | BR06PF9606 / 03-04-2023 | 409/2019 | 12/9/2029 | |
| 8 | श्री राजीव रंजन, पता- भवानीपुर जिरात, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। | BR06PE6896 / 31-08-2019 | 341/2019 | 7/9/2029 | |
| 9 | श्रीमती मधुबाला, पता-शान्ति नगर, डुमरा, जिला- सीतामढ़ी। | BR06PE2367 / 05-04-2019 | BR2020-SC-0008A | 3/1/2030 | |
| 10 | श्री मनोज कुमार, पता- पहाड़पुर, जिलौ-पूर्वी चम्पारण। | BR06PD7271 / 28-02-2018 | BR/106/SC/BUS/2019/117 | 26/12/2029 | |

प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन परमिट से आवृत्त वाहनों के प्रतिस्थापन की सूची।

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम/पता | परमिट संख्या | परमिट पर आवृत्त वाहन संख्या | प्रतिस्थापित वाहन संख्या | अभियुक्ति |
|----------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | श्री सुरेश कुमार, पता- प्रभात नगर, भगवानपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। | 0235/2014 | BR06PE4351 | BR06PC6451 | |
| 2 | श्रीमती वीणा देवी, हरदियाबाद, दामोदरपुर, पिपरा, जिला-पूर्वी चम्पारण। | BR/106/SC/250/2012 | BR05PA5134 | BR06P7934 | |

३ ५ ७

| कार्यावली संख्या-3(i) - परिशिष्ट-IV | | | | | फरवरी- 2025 | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--------------------|-------|-------------|
| एजेडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अम्युक्ति | विवरण | निर्णय |
| 1 | श्री राकेश कुमार मिश्रा, पिता-स्व० इन्द्रदेव मिश्रा, पता- बलहा, धारमा, गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर-जय श्री राम। | बी.आर. 06 पी.बी.-2676 14.08.2012 मॉडल 2012 | बी.आर. 06 पी.बी.-2676 टैक्स-13.05.2025 फिटनेश-29.11.2025 इन्श्युरेंस-25.11.2025 प्रदूषण-17.11.2025 वीएलटीडी-20.12.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-3473 पिपराही से मुजफ्फरपुर बैरिया। भाया-शिवहर परसौनी, बेलसण्ड, रुन्नीसैदपुर, कटौझा, झपहा, भिखनपुर, न्यूजिरोमाईल, प्रतिदिन दो खेप जाना आना। पिपराही प्र०- 04.05, 10.45 मुजफ्फरपुर बैरिया प्र०-07.04, 15.05 | 1. आपत्तिकर्ता श्री सुनील कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ए. -5356 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी०-2048ए. मार्ग सं०-3806, महुआबा से मुजफ्फरपुर। आवेदक रुन्नीसैदपुर प्र०-16.30, आपत्तिकर्ता रुन्नीसैदपुर प्र०-16.30 समय अंतराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में अंकित दूरी एवं सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित दूरी में भिन्नता है। | बी.आर. 06 पी.ए. -5356 टैक्स-14.05.2025 फिटनेश-04.11.2025 इन्श्युरेंस-16.06.2025 प्रदूषण-03.01.2026 वीएलटीडी-23.09.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना-नहीं। | आवेदन वापस। | | आवेदन वापस। |
| | | | 1. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.सी. -2261 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी०-2076ए. मार्ग सं०-3806, महुआबा से मुजफ्फरपुर। आवेदक बेलसंड प्र०-05:10, आपत्तिकर्ता बेलसंड प्र०-05:11 समय अंतराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में अंकित दूरी एवं सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित दूरी में भिन्नता है। | बी.आर. 06 पी.सी. -2261 टैक्स-18.05.2025 फिटनेश-24.06.2025 इन्श्युरेंस-15.09.2024 प्रदूषण-23.09.2025 वीएलटीडी-27.05.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना-नहीं। | | | | | |
| | | | 3. आपत्तिकर्ता श्री सौरभ सिंह, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.एफ. -1392 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी०-2391ए. मार्ग सं०-2471, सीतामढी से मुजफ्फरपुर। आवेदक मजफ्फरपुर प्र०-15.05, आपत्तिकर्ता मजफ्फरपुर प्र०-15.07 समय अंतराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में अंकित दूरी एवं सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित दूरी में भिन्नता है। | बी.आर. 06 पी.एफ. -1392 टैक्स-29.03.2025 फिटनेश-20.04.2025 इन्श्युरेंस-31.03.2025 प्रदूषण-08.08.2025 वीएलटीडी-23.03.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना-नहीं। | | | | | |

३

५

७




| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निकलन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अभ्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|---|--|---|---|---|--|--|-----------|
| 2 | श्री नन्द किशोर सिंह, पिता-श्री जदु नंदन सिंह, पता- भरवा पाकड़, चौबे अंबर, सरैया, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-N/A | बी.आर. 06 पी. एफ. -2789 28.12.2021 मॉडल-2021 | बी.आर. 06 पी. एफ. -2789 डैक्स-26.03.2025 फिटनेश-12.01.2026 इन्श्युरेंस-25.11.2025 प्रदूषण-24.04.2025 वीएलटीडी-23.12.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-4917 लालगंज से मुजफ्फरपुर। भाया-लहलादपुर, दाउदनगर, मंसुरपुर, अम्बारा, बखरा, सरैया, करजा, भगवानपुर चौक, प्रतिदिन दो खेप जाना आना। लालगंज प्र0-06.05, 11.45, मुजफ्फरपुर प्र0- 08.07, 14.05, | | | समय-सारणी में मंसुरपुर से अम्बारा का समय अंकित नहीं है। साथ ही दूरी एवं तय करने में लगा समय क्रमानुसार प्रदर्शित नहीं किया गया है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण। | आवेदक द्वारा आदेदित ग्राहक पर आवृत परमिट का प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। परमिट सं-0418/2009 मैनुअल परमिट वैधता-22.09.2024 | अस्वीकृत। |
| 3 | मो0 उस्मान, पिता-गनौर अंसारी, पता-वार्ड नं0 25, मेहसौल, रामपुर, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-मुस्कान सीतामढ़ी। | बी.आर. 30 पी.-2674 07.06.2012 मॉडल 2012 | बी.आर. 30 पी.-2674 डैक्स-18.05.2025 फिटनेश-12.08.2025 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-03.10.2025 वीएलटीडी-09.08.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-2494 डारुन, लालबंदी से सीतामढ़ी। भाया-मुजेलिया, नरंगा, परवाहा, जगदर, परसौना, कुम्मा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। लालबंदी प्र0-05.00, 08.08, 12.40 सीतामढ़ी प्र0-06.40, 10.20, 15.17 | आपत्तिकर्ता श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी.सी. -4318 का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में सीतामढ़ी प्र0 10.20 अंकित है। सीतामढ़ी से जगदर जाने में 56 मिनट का समय लग रहा है, जबकि समय-सारणी में 67 मिनट अंकित है। | बी.आर. 06 पी.सी. -4318 डैक्स-23.05.2025 फिटनेश-28.12.2025 इन्श्युरेंस-08.12.2025 प्रदूषण-13.08.2025 वीएलटीडी-07.09.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | | आपत्तिकर्ता द्वारा समर्पित तथ्य के आधार पर गतिशीलता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण। | अस्वीकृत। |

३

३

३

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / भिकदन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अशुक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|--|--|--|---|---|---|-------|-----------|
| 4 | श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता- श्री भरत भुषण सिंह, पता-झखरा, पिपरा, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-रमणा। | बी.आर. 05 पी.बी.-6156 26.07.2022 मॉडल 2022 | बी.आर. 05 पी.बी.-6156 टैक्स-25.04.2025 फिटनेस-29.07.2026 इन्श्युरेंस-30.05.2025 प्रदूषण-04.08.2025 वीएलटीडी-12.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-2465 रक्सौल से सिवान, भाया-सुगौली, छपवा, मोतिहारी, खजुरिया, मोहम्मदपुर, गोपालगंज, मीरगंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र0-05.00, सिवान प्र0-12.08, | आपत्तिकर्ता श्री रमेश महतो, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी.एफ. -2419 परमिट सं0-बी0आर0 2024 एस0सी0-2476ए. मार्ग सं0-2465 डाउन, रक्सौल से सिवान। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में रक्सौल से सिवान की दूरी 179 कि०मी० अंकित किया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर में मार्ग सं0 2465 रक्सौल से सिवान की दूरी 98 कि०मी० है। आवेदित दूरी एवं सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित दूरी में काफी अन्तर है। | बी.आर. 06 पी.एफ. -2419 टैक्स-26.04.2025 फिटनेस-12.03.2026 इन्श्युरेंस-28.10.2025 प्रदूषण-06.01.2026 वीएलटीडी-10.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि आपत्तिकर्ता के वाहन का पूर्व बैठक में इसी दूरी के आधार पर परमिट निर्गत हुआ है। आवेदक द्वारा समर्पित संधिका में आवेदित मार्ग का नक्शा संलग्न नहीं किया गया है। | | अस्वीकृत। |

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अशुद्धित | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|--|---|--|---|---|--|-------|---|
| 5 | श्री धीरज कुमार, पिता-श्री सुरेन्द्र पासवान, पता-बलीगढ़ वार्ड नं०-02, देउना खुर्द, रुनीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी। बैचर का नाम- कुनाल रथ। | बी.आर. 06 पी.जी.-4874 02-11-2024 मॉडल 2024 | बी.आर. 06 पी.जी.-4874 टैक्स-01.05.2025 फिटनेश-01.11.2026 इन्श्युरेंस-31.10.2025 प्रदूषण-01.11.2025 वीएलटीडी-28.01.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-10000/- | मार्ग संख्या-3809, रीगा से मुजफ्फरपुर बैरिया। भाया- बसंतपट्टी, पुरनहिया, कुम्हा, मनकौल, परसौनी, बेलसण्ड, रुनीसैदपुर, जनार, कुआही, झपहा, न्यूजिरोमार्शल, प्रतिदिन तीन खेप आना जाना। रीगा प्र०-04.15, 09.40, 14.43, मुजफ्फरपुर बैरिया प्र०- 06.42, 12.32, 17.05, | 1. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री चंदन कुमार द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या बी0आर0 06 पी0सी0-9561, परमिट सं०-बी0आर02024 एस0सी0 2062ए0, मार्ग सं०-3520, बसबीटा बाजार से मुजफ्फरपुर आवेदक रुनीसैदपुर प्र०-13:28 आपत्तिकर्ता रुनीसैदपुर प्र०-13:30 समय अन्तराल 02 मिनट। | बी0आर0 06 पी0सी0-9561 टैक्स-13.05.2025 फिटनेश-08.09.2025 इन्श्युरेंस-07.11.2025 प्रदूषण-07.06.2025 वीएलटीडी-31.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | द्वितीय खेप में रुनीसैदपुर में समय अन्तराल 02 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | द्वितीय एवं तृतीय खेप कटाव एवं न्यू जीरोमार्शल बाईपास के साथ स्वीकृत। |
| | | | | | 2. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री मनोज कुमार यादव द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या बी0आर0 06 पी0एफ0-6220, परमिट सं०-बी0आर02023 एस0सी0 2232ए0, मार्ग सं०-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर बैरिया आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-12:32 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-12:34 समय अन्तराल 02 मिनट। | बी0आर0 06 पी0एफ0-6220 टैक्स-29.03.2025 फिटनेश-11.04.2025 इन्श्युरेंस-26.03.2025 प्रदूषण-04.05.2025 वीएलटीडी-09.04.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | द्वितीय खेप में मुजफ्फरपुर में समय अन्तराल 02 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | |
| | | | | | 3. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री नीरज कुमार द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या बी0आर0 06 पी0सी0-2261, परमिट सं०-बी0आर02024 एस0सी0 2076ए0, मार्ग सं०-3806 महुआवा से मुजफ्फरपुर आवेदक रुनीसैदपुर प्र०-19:17, आपत्तिकर्ता रुनीसैदपुर प्र०-19:22 समय अन्तराल 05 मिनट। आवेदक वेलसंड प्र०-19:48, आपत्तिकर्ता वेलसंड प्र०-19:46 समय अन्तराल 02 मिनट। आवेदक परसौनी प्र०-20:04, आपत्तिकर्ता परसौनी प्र०-20:05 समय अन्तराल 01 मिनट। | बी0आर0 06 पी0सी0-2261 टैक्स-18.05.2025 फिटनेश-24.06.2025 इन्श्युरेंस-15.09.2024 प्रदूषण-23.09.2025 वीएलटीडी-27.05.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | तृतीय खेप में रुनीसैदपुर, बेलसंड एवं परसौनी में समय अन्तराल क्रमशः 05, 02 एवं 01 मिनट, जबकि सभी सीनों पर 03 मिनट आवश्यक। | | |

३ ५ ७

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / निबंदन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अभ्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|--|--|---|--------|-------------------------------|--------------------|-------|----------|
| 6 | श्री प्रमोद कुमार, पिता—श्री सत्य नारायण ढाकुर, पता—नया टोला रपीकर चौक, काजी मोहम्मदपुर, जिला—मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम—जय माता दी। | बी.आर. 06 पी.ई.—4651 25.05.2019 मॉडल 2019 | बी.आर. 06 पी.ई. —4651 टैक्स—24.05.2025 फिटनेस—02.08.2025 इन्श्युरेंस—07.06.2025 प्रदूषण—23.06.2025 वीएलटीडी—09.05. 2025 एच0एस0आर0पी0— हैं जुर्माना—नहीं। | मार्ग संख्या—3792 पटना से बेतिया। माया—हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, रौशन पानापुर, कांटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पीपराकोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र0—06.37, बेतिया प्र0—13.22, | | | | | स्वीकृत। |

४

५

६

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / भिक्कन की तिथि एवं नॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अय्युक्ति | दिवरण | निर्णय |
|-------------|---|--|--|---|---|--|--|--|-----------|
| 7 | श्री राकेश कुमार झा, पिता—श्री रघुनाथ झा, पता—नया टोला स्पीकर चौक, जिला—मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम— जय माता दी। | बी.आर. 06 पी.सी.—9651 07-05-2015 मॉडल 2015 | बी.आर. 06 पी.सी.—9651 टेक्स—06.08.2025 फिटनेश—04.10.2025 इन्श्युरेंस—02.10.2025 प्रदूषण—22.09.2025 वीएलटीडी—14.03.2026 एच0एस0आर0पी0—हॉ जुर्माना—नहीं। | मार्ग संख्या—3792 पटना से बेतिया। भाया—हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, रौशन पानापुर, कांटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पीपराकोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र0—09.49, बेतिया प्र0—15.44, | 1. आपत्तिकर्ता श्री बंसी मनोहर, वाहन सं0—बी.आर. 06 पी.ई. —7139 परमिट सं0—बी0आर0 2023 एस0सी0—3161ए. मार्ग सं0—4882 पटना से मुजफ्फरपुर बैरिया। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0—18.54 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0—18.53 समय अंतराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निर्णय अनुसार समय अंतराल 03 मिनट होना चाहिए। 2. आपत्तिकर्ता श्री सुरेन्द्र प्रसाद, वाहन सं0—बी.आर. 22 पी.ए. —6043 का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय—सारणी में 12 कि0मी0 की दूरी 128 मिनट में तय कर रहा है, जो गतिसीमा के उल्लंघन को दर्शाता है। | बी.आर. 06 पी.ई. —7139 टेक्स—23.04.2025 फिटनेश—08.04.2026 इन्श्युरेंस—06.01.2026 प्रदूषण—12.12.2025 वीएलटीडी—27.09.2025 एच0एस0आर0पी0—हॉ जुर्माना—नहीं। बी.आर. 22 पी.ए. —6043 टेक्स—22.02.2025 फिटनेश—23.08.2026 इन्श्युरेंस—22.08.2025 प्रदूषण—23.08.2025 वीएलटीडी—02.09.2026 एच0एस0आर0पी0—हॉ जुर्माना—नहीं। | एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री बंशी मनोहर द्वारा अपना आपत्ति वापस लेने का अनुरोध किया गया है। समय—सारणी का मिलान किया गया। 128 मिनट में 77 कि0मी0 की दूरी तय किया जा रहा है। इसमें गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही आपत्तिकर्ता द्वारा परमिट की छायाप्रति संलग्न नहीं किया गया है। | आवेदक द्वारा आवेदित वाहन पर आवृत परमिट का प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। परमिट सं—बी0आर0 2021—एस0सी0—20 87ए0, मार्ग सं0—2687 (रामनगर से पटना), वैधता—26.09.2026 | अस्वीकृत। |

✍ ✍ ✍

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निकम्बन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अशुक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|--|--|--|--|---|--|-------|----------------------------------|
| 8 | श्रीमती हेमा देवी, पति-श्री हरि शंकर झा; पता-वार्ड नं० 09, बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-चंदन बेलसण्ड। | बी.आर. 06 पी. एफ-8568 15.09.2023 मॉडल 2023 | बी.आर. 06 पी. एफ-8568 टैक्स-12.03.2025 फिटनेश-14.09.2025 इन्सुरेंस-13.09.2025 प्रदूषण-14.09.2025 वीएलटीडी-14.09.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी। प्रतिदिन दस खेप जाना आना। बेलसंड प्र०-06.28, 07.20, 08.29, 09.48, 11.28, 12.23, 14.13, 15.22, 16.35, 17.28, सीतामढ़ी प्र०-06.53, 07.45, 08.54, 10.32, 11.56, 13.05, 14.38, 16.08, 17.03, 18.18 | आपत्तिकर्ता श्री धिरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. -8108 परमिट सं०-बी0आर0 2025 एस0सी0-0320ए. मार्ग सं०-2344 बेलसण्ड से सीतामढ़ी। आवेदक परसौनी प्र०-07.29, आपत्तिकर्ता परसौनी प्र०-07.27 समय अंतराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक के निबंधित वाहन सं०-बी0आर055 3625 का फिटनेस एवं बीमापत्र फेल होने के पश्चात् भी वाहन का परिचालन हो रहा है। आवेदक के पति श्री हरि शंकर झा के नाम से निबंधित वाहन सं०-बी0आर0 06 पी0 8119 पर टैक्स 2002 से लंबित है, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है। | बी.आर. 06 पी. -8108 टैक्स-22.05.2025 फिटनेश-04.03.2025 इन्सुरेंस-01.12.2025 प्रदूषण-27.06.2025 वीएलटीडी-23.02.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। बी0आर055-3625 फिटनेश-12.04.2024 इन्सुरेंस-30.12.2023 बी0आर0 06 पी0-8119 टैक्स-22.05.2025 आर0सी0 कैन्सल। | द्वितीय खेप में परसौनी में समय अंतराल 02 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आवेदक के नाम से निबंधित वाहन सं०-बी0आर055-3625 का फिटनेश एवं इन्सुरेंस फेल है। उक्त वाहन के परमिट का प्रत्यर्पण दिनांक-24.01.2025 को किया जा चुका है। | | द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत। |

✍ ✍ ✍

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अग्रयुक्त | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|--|--|--|---|--|---|--|----------------------------|
| 9 | श्री अंकित कश्यप, पिता-श्री संतोष कुमार राय, पता-लालकोठी, बिलासपुर, हरिनगर, रामनगर, जिला-प० चम्पारण। बैनर का नाम- N/A | बी.आर. 22 पी. ए.-7525 26.10.2024 मॉडल 2024 | बी.आर. 22 पी. ए.-7525 टैक्स-20.04.2025 फिटनेश-25.10.2026 इन्श्युरेंस-20.10.2025 प्रदूषण-25.10.2025 वीएलटीडी-17.11.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-2670 रायबारी महुआ से मोतिहारी। भाया-मलुआडीह, हलवा, बैरिया, बाबापुल, परसौनी, इंग्लिशिया, लौरिया, बेतिया, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रायबारी महुआ प्र०-07.05 मोतिहारी प्र०-13.14, | 1. आपत्तिकर्ता श्री दिनेश वास्ते श्रीमती गीता देवी, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ए. -1024 मार्ग सं०-4721, परमिट सं०-51/2010, हरनाठांड से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-15.18 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-15.21 समय अंतराल 03 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार समय अंतराल 07 मिनट का होना चाहिए। | बी.आर. 06 पी.ए. -1024 टैक्स-14.04.2025 फिटनेश-16.04.2025 इन्श्युरेंस-27.02.2025 प्रदूषण-20.06.2025 वीएलटीडी-16.04.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक है। बेतिया मध्य बिन्दु पर समय अंतराल 03 मिनट, जबकि 07 मिनट आवश्यक। | एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री-दिलिप ठाकुर वारंते अंकित कश्यप द्वारा सूचित किया गया है कि आपत्ति क्रमांक 01 पर अंकित वाहन 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है एवं परमिट की वैधता-21.01.2025 तक है। | खेप कटाव के कारण अस्वीकृत। |
| | | | | | 2. आपत्तिकर्ता श्री दिनेश वास्ते श्री ध्रुव कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. डी. -4089 मार्ग सं०-3323, परमिट सं०-86/2019, वाल्मिकीनगर से बेतिया। आवेदक लौरिया प्र०-16.15 आपत्तिकर्ता लौरिया प्र०-16.15 समय अंतराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार समय अंतराल 03 मिनट का होना चाहिए। | बी.आर. 06 पी. डी. -4089 टैक्स-18-03-2025 फिटनेश-28-06-2025 इन्श्युरेंस-18.06.2025 प्रदूषण-21.01.2026 वीएलटीडी-26.06.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | लौरिया मध्य बिन्दु पर समय अंतराल समान, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम है। मेरी गाड़ी 3 महिना पहले लिया गया है जिसका किसी प्राधिकार से परमिट निर्गत नहीं है। | |
| | | | | | 3. आपत्तिकर्ता श्री राजेश रंजन शुक्ला, वाहन सं०-बी.आर. 22 पी.ए. -5377 परमिट सं०-बी0आर0 2022 एस0सी0-0812ए. मार्ग सं०-3814 बगहा स्टेशन से बेतिया। आवेदक लौरिया प्र०-16.15 आपत्तिकर्ता लौरिया प्र०-16.16 समय अंतराल 01 मिनट। | बी.आर. 22 पी.ए. -5377 टैक्स-23.04.2025 फिटनेश-07.02.2026 इन्श्युरेंस-23.01.2026 प्रदूषण-02.02.2026 वीएलटीडी-16.02.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | लौरिया मध्य बिन्दु पर समय अंतराल 01 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | |

✍ ✍ ✍

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / निबंदन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अम्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|---|---|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| 10 | श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता- श्री शरत भूषण सिंह, पता-झखरा, पिपरा, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-रमणा। | बी.आर. 06 पी. सी. -2586 10.07.2014 मॉडल 2014 | बी.आर. 06 पी. सी. -2586 टैक्स-09.04.2025 फिटनेश-22.07.2025 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-29.07.2025 वीएलटीडी-28.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-2465 डाउन रक्सौल से सिवान, भाया-सुगौली, छपवा, मोतिहारी, खजुरिया, मोहम्मदपुर, गोपालगंज, मीरगंज, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र0-03.51 सिवान प्र0-11.52, | आपत्तिकर्ता श्री रमेश महतो, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी.एफ. -2419 परमिट सं0-बी0आर0 2024 एस0सी0-2476ए. मार्ग सं0-2465 डाउन, रक्सौल से सिवान। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में रक्सौल से सिवान की दूरी 179 कि0मी0 अंकित है, जबकि सॉफ्टवेयर में मार्ग सं0 2465 रक्सौल से सिवान की दूरी 98 कि0मी0 प्रदर्शित हो रहा है। आवेदित दूरी एवं सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित दूरी में भिन्नता जाँच का विषय है। आवेदित वाहन 40 सीटर है, किन्तु परिचालन 44 सीटर के रूप में किया जाता है। | बी.आर. 06 पी.एफ. -2419 टैक्स-26.04.2025 फिटनेश-12.03.2026 इन्श्युरेंस-28.10.2025 प्रदूषण-06.01.2026 वीएलटीडी-10.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | | | जाँच हेतु निर्णय लंबित। |
| 11 | श्री राम इकबाल राय, पिता-श्री सिंगेश्वर राय, पता-भतौलिया, ब्रह्मपुर कमर्ण, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- नितु राजा। | बी.आर. 56 पी. -1073 28.03.2017 मॉडल 2017 | बी.आर. 56 पी. -1073 टैक्स-03.04.2025 फिटनेश-02.03.2025 इन्श्युरेंस-23.02.2026 प्रदूषण-04.08.2025 वीएलटीडी-06.08.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-3755, पुपरी से मुजफ्फरपुर, भाया- रायपुर, महुआ गाछी, रून्नीसैदपुर, जनार, कोरलहिया, जनार, झपहा, द्रोणपुर, सहवाजपुर, न्यु जिरोमाईल, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। पुपरी प्र0- 04.15, 11.13, 18.07, मुजफ्फरपुर प्र0-08.57, 14.38, 20.05, | आपत्तिकर्ता श्री प्रसून कुमार, वाहन सं0-बी.आर. 30 पी.ए. -1640, परमिट सं0- बी0आर0 2023 एस0सी0-1388ए0, मार्ग सं0-26 डाउन, मधवापुर से पटना। परमिट की वैधता-08.05.2028 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-14.38 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-14.40 समय अंतराल 02 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में 29 कि0मी की दूरी 01 घंटा 10 मिनट में तय हो रहा है। इसमें गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन के विवरणों का अवलोकन किया जा सकता है। वाहन का रंग पीला है एवं स्कूल बस में निबंधित है। पूर्व में वाहन को स्कूल बस के लिए परमिट भी निर्गत किया जा चुका है। विभिन्न न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल बस एवं परमिट संबंधि निर्णय की छायाप्रति कार्यालय के अवलोकन के लिए संलग्न है। | बी.आर. 30 पी.ए. -1640 टैक्स-13.03.2025 फिटनेश-17.10.2025 इन्श्युरेंस-11.12.2025 प्रदूषण-23.06.2025 वीएलटीडी-21.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त आवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि आपत्तिकर्ता द्वारा वाहन के संबंध में दी गयी सूचना गलत एवं निराधार है। आवेदित वाहन के आर0सी0 पर बस अंकित है, जिसपर पूर्व से कोई परमिट निर्गत नहीं है। साथ ही समय-सारणी में गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। | आवेदित वाहन के आर0सी0 पर बस अंकित है, जिसपर पूर्व से कोई परमिट निर्गत नहीं है। | द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत। |

३

४

५

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर | वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अस्थिरित | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|---|---|--|---|--|--|-------|-----------|
| 12 | श्री अवधेश तिवारी, पिता-श्री श्रीकान्त तिवारी, पता-चन्द्रहिया, हरसिद्धि, जिला-मोतिहारी। बेनर का नाम-सौरव। | बी.आर. 05 पी.-9741 टैक्स-19.02.2025 फिटनेश-21.01.2026 24.08.2013 मॉडल 2013 | बी.आर. 05 पी.-9741 टैक्स-19.02.2025 फिटनेश-21.01.2026 इन्श्युरेंस-23.08.2025 प्रदूषण-13.08.2025 वीएलटीडी-09.10.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-4771 मुजफ्फरपुर से मोतिहारी। भाया-पहाड़पुर, मोतिपुर, साहेबगंज, कल्याणपुर, चकिया बाजार, पिपराकोठी, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-12.13, मोतिहारी प्र०-17.36, | आपत्तिकर्ता श्री राकेश कुमार झा, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.सी. -9651 का कहना है कि आवेदक द्वारा क्रम सं० 12 पर प्रकाशित समय-सारणी में मुजफ्फरपुर प्र० 12.13-प्रकाशित किया गया है, जबकि मेरा आवेदन क्रमांक 07 पर है जिसमें मुजफ्फरपुर प्र० 12.12 प्रकाशित है। समय अंतराल 01 मिनट का है। प्राधिकार के निदेशानुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मेरे आवेदन को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। | बी.आर. 06 पी.सी. -9651 टैक्स-06.05.2025 फिटनेश-04.10.2025 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-22.09.2025 वीएलटीडी-14.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं जुर्माना-नहीं। | एजेंडा प्रकाश के उपरान्त श्री-अवधेश कुमार तिवारी द्वारा सूचना दिया गया है जो स्पष्ट नहीं है। | | स्वीकृत। |
| 13 | श्री अजय कुमार पाण्डेय, पिता-श्री रामदेव पाण्डेय, पता-शसेवराहा पाण्डेय टोला, हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चम्पारण। बेनर का नाम-सौरव। | बी.आर. 09 पी. ए.-3511 टैक्स-30.04.2025 फिटनेश-25.08.2026 02.08.2018 मॉडल 2018 | बी.आर. 09 पी. ए.-3511 टैक्स-30.04.2025 फिटनेश-25.08.2026 इन्श्युरेंस-07.07.2025 प्रदूषण-20.03.2025 वीएलटीडी-08.10.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, रौशन पानापुर, कांटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पीपरा कोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-04.29, बेतिया प्र०-15.43, | आपत्तिकर्ता श्री संतोष कुमार का कहना है कि आवेदक श्री अजय कुमार पाण्डेय द्वारा मार्ग सं०-3792 बेतिया से पटना की दूरी 205 कि०मी० दर्शाया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर में 195 कि०मी० है। बेतिया से मोतिहारी 45 कि०मी० की दूरी 27 मिनट में तय कर रहा है। गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। आपत्तिकर्ता श्री राकेश कुमार झा, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.सी. -9651 का कहना है कि आवेदक का प्रकाशन त्रुटिपूर्ण है जो स्टेज कैरेज परमिट का आवेदन है। समय-सारणी का प्रकाशन कम्प्यूटर्ड कैरेज से करवाया गया है जो पटना से डाईरेक्ट मोतिहारी का आगमन और प्रस्थान है जो किसी मार्ग से मेल नहीं खाता है। | बी.आर. 06 पी.सी. -9651 टैक्स-06.05.2025 फिटनेश-04.10.2025 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-22.09.2025 वीएलटीडी-14.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं जुर्माना-नहीं। | गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है एवं समय-सारणी त्रुटिपूर्ण। | | अस्वीकृत। |

~~13~~ 13 13

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / निचयन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अम्युवित | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|--|---|---|--|--|--|-------|-----------|
| 14 | श्री सुरेश कुमार, पिता—श्री इन्द्रदेव मिश्रा, पता—प्रभात नगर, भगवानपुर, जिला—मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम—जय माता दी। | बी.आर. 06 पी. सी.—6451 24.05.2014 मॉडल 2014 | बी.आर. 06 पी. सी. —6451 टेक्स—23.05.2025 फिटनेस—02.06.2025 इश्युरेंस—17.12.2025 प्रदूषण—18.09.2025 वीएलटीडी—09.05. 2025 एच0एस0आर0पी0— नहीं। जुर्माना— नहीं। | मार्ग सं0—3783 बेतिया से पटना। भाया—छपवा, मोतिहारी, पिपराकोठी, कल्याणपुर, चकिया बाजार, मोतीपुर, महना बाजार, कांटी, रोशन पानापुर, मुजफ्फरपुर बस स्टेण्ड, रामदयालु नगर, फकुली, जटकौलीघाट, लालगंज, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप आना—जाना। बेतिया प्र0—09.45, पटना प्र0—17.20, | आपत्तिकर्ता श्री जितेश कुमार का कहना है कि आवेदक श्री सुरेश कुमार द्वारा मार्ग सं0—3783 बेतिया से पटना की दूरी 216.5 कि०मी० दर्शाया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर में 195 कि०मी० है प्राधिकार के नियमानुसार 10 से 15 वर्ष के आयु के वाहन को अधिकतम 400 कि०मी० के अन्दर में ही परमिट दिया जा सकता है, जबकि वाहन 433 कि०मी० का प्रस्ताव दिया है। | | प्रकाशित समय—सारणी से परिचालन हेतु अनुमान्य दूरी का उल्लंघन हो रहा है। | | अस्वीकृत। |
| 15 | श्री शशि कान्त शाह, पिता—श्री घुरन शाह, पता—चडरहिया, अरेराज, जिला—पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम—सौरव। | बी.आर. 01 पी.सी.—4943 26.05.2011 मॉडल 2011 | बी.आर. 01 पी.सी. —4943 टेक्स— 25.02.2025 फिटनेस—26.07.2025 इश्युरेंस—24.04.2025 प्रदूषण—22.04.2025 वीएलटीडी—23.07. 2025 एच0एस0आर0पी0— नहीं। जुर्माना— नहीं। | मार्ग संख्या—2312 डाउन, सीवान से बेतिया। भाया—मीरगंज, गोपालगंज, महमदपुर, खजुरिया, पिपराकोठी, मोतिहारी, छपवा, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। सीवान प्र0—09.47, बेतिया प्र0—15.50, | आपत्तिकर्ता श्री रमेश महतो, वाहन सं0—बी.आर. 06 पी.एफ. —2419 परमिट सं0—बी०आर० 2024 एस०सी०—2476ए. मार्ग सं0—2465 डाउन, रक्सौल से सिवान। आवेदक सिवान से बेतिया की दूरी 168 कि०मी० दर्शाया गया है, जबकि सिवान से बेतिया मार्ग सं0—2312 में दूरी 145 कि०मी० है एवं आवेदक अपने वाहन में पिपराकोठी से छपवा में आगमन एवं प्रस्थान दर्शाया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर में मार्ग पिपराकोठी से छपवा अंकित नहीं है। | बी.आर. 06 पी.एफ. —2419 टेक्स—26.04.2025 फिटनेस—12.03.2026 इश्युरेंस—28.10.2025 प्रदूषण—06.01.2026 वीएलटीडी—10.03.2026 एच0एस0आर0पी0—हैं जुर्माना—नहीं। | मोतिहारी से पिपराकोठी की दूरी समय—सारणी में अंकित नहीं है। समय—सारणी त्रुटिपूर्ण। आवेदित मार्ग का नक्शा भी संलग्न नहीं है। | | अस्वीकृत। |

8 * 3

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निचयन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अन्वुक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|---|--|---|--|---|------------------------|--|-------------------------|
| 16 | श्री मनोज कुमार यादव, पिता-रखो चंदेश्वर राय, पता- बीबीगंज, भगवानपुर, सदर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर-नितु राजा। | बी.आर. 06 पी.डी.-9721 15.05.2017 मॉडल 2016 | बी.आर. 06 पी.डी.-9721 टैक्स-14.05.2025 फिटनेश-11.06.2025 इन्श्युरेंस-14.09.2025 प्रदूषण-17.08.2025 वीएलटीडी-12.06.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड, रौशन पानापुर, कांटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पीपरा कोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-23.40 बेतिया प्र०-15.53, | | | | एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री शशिकान्त साह द्वारा सूचित किया गया है कि पहले आओ पहले पाओ के तहत क्रमांक-15 पर मेरा प्रकाशन है, जिसमें मेरा बेतिया प्रस्थान 15:50 है एवं आवेदक का 15:53 है जिसमें समय अन्तराल 03 मिनट है। | स्वीकृत। |
| 17 | श्री देवेन्द्र कुमार, पिता-श्री ध्रुवनाथ प्रसाद, पता-भवानीपुर जिरात वार्ड-21, नियर राजेश्वारी पैलेस, छतौनी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर-NRA गुड़िया। | बी.आर. 06 पी.डी.-9747 13.04.2018 मॉडल 2017 | बी.आर. 06 पी.डी.-9747 टैक्स-12.04.2025 फिटनेश-05.12.2025 इन्श्युरेंस-08.12.2025 प्रदूषण-05.12.2025 वीएलटीडी-26.12.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-2766 साहेबगंज से मोतिहारी। भाया-केसरीया, खजुरिया, कोटवा, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। साहेबगंज प्र०-05.28, 10.13, 15.10, मोतिहारी प्र०-08.16, 12.52, 17.29, | आपत्तिकर्ता श्री आलोक कुमार पाण्डेय वाहन सं०-बी.आर. 05 पी.ए.-2011 परमिट सं०-बी0आर0 2023 एस0सी0-0612ए. मार्ग सं०-2199, सिवान से मोतिहारी आवेदक मोतिहारी प्र०-17:29 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-17:35 समय अंतराल 06 मिनट। आवेदक द्वारा साहेबगंज से मोतिहारी की दूरी 70 कि०मी० दर्शाया गया है, जबकि सॉफ्टवेयर में मार्ग सं०-2766 की दूरी 65 कि०मी० है। | बी.आर. 05 पी.ए.-2011 टैक्स-12.03.2025 फिटनेश-01.04.2025 इन्श्युरेंस-14.05.2025 प्रदूषण-12.08.2025 वीएलटीडी-26.02.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना- नहीं। | समय-सारणी त्रुटिपूर्ण। | | जाँच हेतु निर्णय लंबित। |

६ ५ ७

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / निम्न की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अशुभित | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|--|---|--|--|--|---|-------|----------|
| 18 | श्री अशोक कुमार यादव, पत्नि-श्री-जय कुमार यादव, पता-बरडीहा तुर्की, पातेपुर, जिला- वैशाली। बैनर का नाम- जानकी रथ। | बी.आर. 06 पी. जी.-4999 13.11.2024 मॉडल 2024 | बी.आर. 06 पी. जी. -4999 टैक्स-29.04.2025 फिटनेश-12.11.2026 इन्श्युरेंस-04.11.2025 प्रदूषण-12.11.2025 वीएलटीडी-26.01. 2027 एच0एस0आर0पी0 -है। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-4885, चिकनौटा से पटना। भाया-पातेपुर, बरडीहा, कुशार, महुआ, हाजीपुर, जघुआ, गायघाट, अगमकुआ। प्रतिदिन दो खेप आना जाना। चिकनौटा प्र०-06.28, 12.50, पटना प्र०-09.29, 16.57, | | | | | स्वीकृत। |
| 19 | बि०रा०प०प० नि० / शैलेन्द्र कु० सिंह, पिता-श्री राम सुन्दर सिंह, पता-वार्ड नं० 15 बसंत बिहार, नहर चोक, राजोपट्टी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-बि०रा०प०प० नि०। | बी.आर. 30 पी.ए.-1855 19.08.2019 मॉडल 2019 | बी.आर. 30 पी.ए. -1855 टैक्स-18.05.2025 फिटनेश-12.08.2025 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-03.10.2025 वीएलटीडी-09.08. 2025 एच0एस0आर0पी0 -है। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-4834 भिरवा बाजार से पटना। भाया-परिहार, सुरसंब, रसुलपुर, पुपरी, महुआगाछी, रून्नीसैदपुर, खनुआघाट, टंगराहा, पीपरा, मीनापुर, झपहां, द्रोणपुर, मुजफ्फरपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। भिरवा बाजार प्र०-04.33 पटना प्र०-15.37 | 1. आपत्तिकर्ता श्री प्रसुन कुमार वास्ते पियुष वाहन सं०-बी.आर. 30 पी.-9321 परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी०-1385ए. मधवापुर से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-09:08 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-09:08 समय अंतराल शून्य। 2. आपत्तिकर्ता श्री प्रसुन कुमार वाहन सं०-बी.आर. 30 पी.ए.-1640 परमिट सं०-बी०आर० 2023 एस०सी०-1388ए. मधवापुर से पटना। आवेदक पटना प्र०-15:37 आपत्तिकर्ता पटना प्र०-15:39 समय अंतराल 02 मिनट। | बी.आर. 30 पी.-9321 टैक्स-16.04.2025 फिटनेश-16.11.2025 इन्श्युरेंस-12.12.2025 प्रदूषण-02.08.2025 वीएलटीडी-29.07.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना- नहीं। बी.आर. 30 पी.ए.-1640 टैक्स-13.03.2025 फिटनेश-17.10.2025 इन्श्युरेंस-11.12.2025 प्रदूषण-23.06.2025 वीएलटीडी-21.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं जुर्माना- नहीं। | आवेदित वाहन परमिट से आवृत्त है, जिसका प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। परमिट सं०-बी०आर०2021 एस०सी०-0505ए०, मार्ग सं०-2235 यदुपट्टी से मुजफ्फरपुर, वैधता-05.03. 2026 एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त आवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि मेरा परमिट प्रत्यर्पण हेतु कार्यालय में समर्पित है। मुजफ्फरपुर एवं पटना बस पड़ाव पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं निजी बसों का टहराब अलग-अलग है। | | स्वीकृत। |

६

१

७

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / निक्कन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अभ्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| 20 | श्री मनोज कुमार यादव, पिता-स्व० चंद्रेश्वर राय, पता- बीबीगंज, भगवानपुर, सदर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर-नितु राजा। | बी.आर. 06 पी.एफ.-0129 13.11.2020 मॉडल 2020 | बी.आर. 06 पी.एफ.-0129 टैक्स-11.05.2025 फिटनेश-18.11.2026 इन्श्युरेंस-14.11.2025 प्रदूषण-21.01.2026 वीएलटीडी-10.12.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैंड, रोशन पानापुर, कांटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपरा कांटी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-06.25, बेतिया प्र०-14.25, | 1. आपत्तिकर्ता श्री उत्कर्ष चौधरी वाहन सं०-बी.आर. 01 पी.आर.-0140 परमिट सं०-बी0आर0 2024 एस0सी0-2091ए। मार्ग सं०-3721 डाउन, पटना से चनपटिया। आवेदक पटना प्र०-06:25, आपत्तिकर्ता पटना प्र०-06:25 समय अंतराल शून्य। आवेदक हाजीपुर प्र०-07:05, आपत्तिकर्ता हाजीपुर प्र०-07:00 समय अंतराल 04 मिनट। | 1. बी.आर. 01 पी.आर.-0140 टैक्स-29.04.2025 फिटनेश-29.04.2026 इन्श्युरेंस-30.01.2026 प्रदूषण-29.04.2025 वीएलटीडी-22.01.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं। | एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री मनोज कुमार द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन सं०-बी0आर0 01पी0आर0-0140 एवं बी0आर0 06 पी0डी0-6006 का नियमित परिचालन नहीं किया जा रहा है जिसकी जांच भी0एल0टी0डी0 से की जा सकती है। | पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल समान, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | खेप कटावके कारण अस्वीकृत। |
| | | | | | 2. आपत्तिकर्ता श्री प्रमोद कुमार वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ई.-4651 का मार्ग पटना से बेतिया के लिए क्रमांक 06 पर समय-सारणी प्रकाशित है जिसका मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के लिए प्रस्थान 09:14 है। | 2. बी.आर. 06 पी.ई.-4651 टैक्स-24.05.2025 फिटनेश-02.06.2025 इन्श्युरेंस-07.06.2025 प्रदूषण-23.06.2025 वीएलटीडी-09.05.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं। | मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल समान, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | |
| | | | | | 3. आपत्तिकर्ता श्रीमती जानकी शुक्ला वास्ते मधुवन कुमार का कहना है कि समय-सारणी हाजीपुर प्र०-08:10 बजे पटना के लिए है, जबकि मेरी वाहन सं०-बीआर0 06 पी0डी0-6006 का भी पहले से हाजीपुर से प्रस्थान-08:10 है। समय अन्तराल शून्य। | 3. बीआर0 06 पी0डी0-6006 टैक्स-20.02.2025 फिटनेश-18.08.2025 इन्श्युरेंस-18.07.2025 प्रदूषण-27.12.2025 वीएलटीडी-16.08.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं। | हाजीपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल समान, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | |

३

*

३

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/लिकेन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अशुद्धित | विवरण | निर्णय | |
|-------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
| 21 | श्री केदार प्रसाद राय, पिता-श्री सोने राय, पता-रामचंद्रपुर, दशहरा, पटोरी, जिला-समस्तीपुर। बैनर का नाम-शुभम ट्रेभल्स। | बी.आर. 06 पी.ए.-6577 07.06.2011 मॉडल 2011 | बी.आर. 06 पी.ए.-6577 टैक्स-06.03.2025 फिटनेश-21.12.2025 इन्श्युरेंस-03.09.2025 प्रदूषण-07.11.2025 वीएलटीडी-14.01.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-3724 मोहदीनगर से हाजीपुर। भाया-महनार। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मोहदीनगर प्र0-03.35, 08.50, 15.20, हाजीपुर प्र0- 07.25, 13.25, 18.23, | | | | आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जिसका प्रत्यर्पन नहीं किया गया है। परमिट सं0-361/2019, मार्ग सं0-3480 मोहदीनगर से हाजीपुर, वैधता-09.09.2024 | अद्यतन MVI जाँच प्रतिवेदन संलग्न नहीं। | MVI से जाँच प्रतिवेदन जमा करने एवं रु०-10000/- जुर्माना के साथ स्वीकृत। |
| 22 | श्री अभिनय पिता-श्री चंद्रहाश, पता-बेलसण्ड, वार्ड नं०-06, बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-तिरंगा। | बी.आर. 30 पी.ए.-5039 19.07.2024 मॉडल 202024 | बी.आर. 30 पी.ए.-5039 टैक्स-15.04.2025 फिटनेश-18.07.2026 इन्श्युरेंस-18.07.2025 प्रदूषण-18.07.2025 वीएलटीडी-25.07.2026 एच0एस0आर0पी0-है। जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी। प्रतिदिन नौ खेप जाना आना। बेलसंड प्र0- 06.00, 07.37, 09.00, 10.15, 11.15, 13.20, 14.42, 15.55, 17.30, सीतामढ़ी प्र0-07.00, 08.16, 09.35, 10.45, 11.55, 13.54, 15.15, 17.00, 18.00, | आपत्तिकर्ता श्री धीरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 24 पी.-5912 परमिट सं०-बी0आर0 2023 एस0सी0-2927ए. मार्ग सं०-2344, बेलसंड से सीतामढ़ी। आवेदक परसौनी प्र0-10:26, आपत्तिकर्ता परसौनी प्र0-10:25 समय अंतराल 01 मिनट। आवेदनकर्ता के पिता सरकारी सेवा में है और उनके नाम से बी0आर0 06 पी0ए0-0187 एवं बी0आर 06 पी0-4358 है। आवेदनकर्ता के पिता चन्द्रहाश के नाम पर बी0पी0एफ0-2939 वाहन निबंधित है जिस पर 2012 से टैक्स बकाया है। | बी.आर. 24 पी.-5912 टैक्स-01.04.2025 फिटनेश-18.03.2025 इन्श्युरेंस-22.02.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-07.10.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना- नहीं। बी0पी0एफ0-2939 टैक्स-31.07.2012 तक जमा | चतुर्थ खेप में परसौनी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आवेदक के नाम से कोई टैक्स बकाया का उल्लेख नहीं है। | | चतुर्थ खेप कटाव के साथ स्वीकृत। | |

३३

३

३

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निष्पन्न की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अस्थिति | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|---|--|--|---|--|--|-------|---------------------------------|
| 23 | श्री कामेश्वर मिश्रा, पिता-श्री गुल्ली मिश्रा, पता-ईजारा, संग्रामपुर, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-मिश्रा बन्धु। | बी०आर० ०५ पी.ए.-२०१४ २३.०८.२०१४ मॉडल-२०१४ | बी०आर० ०५ पी.ए.-२०१४ टैक्स-१९.०५.२०२५ फिटनेश-२५.११.२०२५ इन्श्युरेंस-२४.११.२०२५ प्रदूषण-०६.०१.२०२६ वीएलटीडी-२४.११.२०२५ एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-२५२९ भावापुर से रक्सौल। भाया-सिकन्दरपुर, जलहा, संग्रामपुर, गोविन्दगंज, अरेराज, हरसिद्धि, छपवा, सुगौली, रमगढ़वा, प्रतिदिन दो खेप आना जाना। भावापुर प्र०-०२.११, १०.१३, रक्सौल प्र०-०५.४४, १४.४७, | आपत्तिकर्ता श्री जीतेन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी.आर. ०६ पी.एफ.-७६६१ परमिट सं०-बी०आर० २०२४ एस०सी०-१३७४ए, मार्ग सं०-४७८३-डाउन रक्सौल से मोतिहारी। आवेदक रक्सौल प्र०-०५:४४, आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-०५:४८ समय अंतराल ०४ मिनट। बी०आर० ०६ पी०जी०-११०३ बी०आर० २०२४ एस०सी०-०४८०ए० मार्ग सं०-४७८३ मोतिहारी से रक्सौल। आवेदक रक्सौल प्र०-१४:४७, आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-१४:४८ समय अन्तराल ०१ मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि रूट समान है। | १. बी.आर. ०६ पी.एफ.-७६६१ टैक्स-२७.०४.२०२५ फिटनेश-२८.०७.२०२५ इन्श्युरेंस-२७.०७.२०२५ प्रदूषण-२६.०७.२०२५ वीएलटीडी-२७.०७.२०२५ एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना- नहीं। २. बी०आर० ०६ पी०जी०-११०३ टैक्स-०१.०४.२०२५ फिटनेश-०२.०१.२०२६ इन्श्युरेंस-२७.१२.२०२५ प्रदूषण-०२.०१.२०२६ वीएलटीडी-०१.०१.२०२६ एच०एस०आर०पी०-हॉ जुर्माना- नहीं। | प्रथम खेप में आपत्तिकर्ता के रक्सौल प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल ०४ मिनट जबकि ०३ मिनट आवश्यक। द्वितीय खेप में आपत्तिकर्ता के रक्सौल प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल ०१ मिनट जबकि ०३ मिनट आवश्यक। | | द्वितीय खेप कटाव के साथ रवीकृत। |

३

४

५

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अस्थित | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 24 | श्री संजीव कुमार, पिता-श्री श्रीनाथ साय, पता-चैनपुर, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- N/A | बी.आर. 06 पी.जी.-3971 30.08.2024 मॉडल 2024 | बी.आर. 06 पी.जी. -3971 टैक्स-16.05.2025 फिटनेस-29.08.2026 इन्श्युरेंस-16.08.2025 प्रदूषण-29.08.2025 वीएलटीडी-05.09. 2026 एच0एस0आर0पी0 -है। जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-4860 डाउन। मुजफ्फरपुर से मधवापुर। भाया-झपहों, कोआहों, जचार, रुल्नीसैदपुर, महुआगाछी, पुपरी, चुरीत, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र0- 05.33, 11.00, 17.01, मधवापुर प्र0-08.20, 15.00, 20.12, | आपत्तिकर्ता श्री प्रसुन कुमार वाहन सं0-बी.आर. 30 पी.ए.-2428 परमिट सं0-बी0आर0 2020 एस0सी0-0252ए0 मार्ग सं0-02774, सोनकी से मुजफ्फरपुर। आवेदक मधवापुर प्र0-20:12 आपत्तिकर्ता मधवापुर प्र0-20:12 समय अंतराल शून्य। | बी.आर. 30 पी.ए.-2428 टैक्स-30.04.2025 फिटनेस-16.11.2025 इन्श्युरेंस-03.05.2025 प्रदूषण-11.02.2026 वीएलटीडी-29.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हाँ जुर्माना- नहीं। | तृतीय खेप में मधवापुर प्रारंभ-बिन्दु पर समय अन्तराल समान, जबकि आगे -बिछे क्रमशः 05 मिनट एवं 07 मिनट आवश्यक। | एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त आवेदक द्वारा सूचित किया गया कि आपत्तिकर्ता का वाहन मुजफ्फरपुर से मधवापुर परिचालित होती है। मधवापुर दरभंगा प्राधिकार में पड़ता है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परमिट को प्रतिहस्ताक्षर करना है, जबकि आपत्तिकर्ता द्वारा नहीं कराया गया है जो परमिट शर्त का उल्लंघन है। | आपत्तिकर्ता द्वारा दरभंगा प्राधिकार से परमिट का प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराने की स्वीकारोक्ति के कारण नोटिस निर्गत कर नियम संगत कार्रवाई करने का निर्देश। तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत। |
| 25 | श्री महिप कुमार/ बि0रा0प0प0 नि0। पिता-श्री राम नारायण सिंह, पता-मोहम्मदपुर, बादल, डोली, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-बि0रा0प0प0 नि0। | बी.आर. 06 पी.एफ.-5211 22.04.2022 मॉडल 2022 | बी.आर. 06 पी.एफ. -5211 टैक्स-29.03.2025 फिटनेस-10.05.2026 इन्श्युरेंस-30.03.2025 प्रदूषण-03.05.2025 वीएलटीडी-07.05. 2026 एच0एस0आर0पी0-है। जुर्माना- नहीं। | मार्ग सं0-418 पटना से भैसालोटन। भाया-हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, लोरिया, बगहा, बाल्मिकीनगर, प्रतिदिन एक खेप आना-जाना। पटना प्र0-10.25 भैसालोटन प्र0-19.02, | आपत्तिकर्ता श्री बिरेन्द्र कुमार, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी.डी.-2541 परमिट सं0-0509/013 मार्ग सं0-3823, बाल्मिकीनगर से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र0-15:41, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र0-15:42 समय अंतराल 01 मिनट। आवेदक पटना से हाजीपुर 55 कि0मी0 की दूरी 30 मिनट, बगहा से बाल्मिकीनगर 21 कि0मी0 की दूरी 60 मिनट, भैसालोटन से बाल्मिकीनगर 40 कि0मी0 की दूरी 05 मिनट, बेतिया से मोतिहारी 85 कि0मी की दूरी 57 मिनट एवं मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की दूरी 30 कि0मी0 90 मिनट में प्रकाशन किया गया है जो गतिसीमा का उल्लंघन है। | बी.आर. 06 पी.डी.-2541 टैक्स-21.03.2025 फिटनेस-11.03.2026 इन्श्युरेंस-30.01.2026 प्रदूषण-15.10.2025 वीएलटीडी-05.09.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना- नहीं। | प्रकाशित समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है एवं आवेदित मार्ग का नक्शा संलग्न नहीं किया गया है। | | अस्वीकृत। |

६

६

६

| एजेन्डा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर | वाहन संख्या/भिवहन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अन्वयित | विवरण | निर्णय |
|--------------|---|---|---|--|--|---|---|---|----------|
| 26 | श्री राहुल कुमार, पिता-श्री महेश राय, पता-हरिहरपुर, पुपरी, जिला-सीतामढ़ी। बेनर का नाम-N/A | बी.आर. 30 पी.-1295 11.04.2011 मॉडल 2011 | बी.आर. 30 पी.-1295 टैक्स-08.04.2025 फिटनेश-05.02.2026 इन्श्युरेंस-22.09.2021 प्रदूषण-31.01.2026 वीएलटीडी-26.02.2026 एच0एस0आर0पी0-है जुमाना-नहीं। | मार्ग संख्या-4831 डाउन, पुपरी से भिठामोड़। भाया-सुरसण्ड, प्रतिदिन दस खेप जाना आना। पुपरी प्र0-05.25, 06.40, 08.05, 09.17, 10.40, 11.58, 13.10, 14.31, 15.48, 17.07, भिठामोड़ प्र0-05.55, 07.10, 08.35, 09.48, 11.10, 12.30, 13.40, 15.01, 16.19, 17.38, | | | एजेन्डा प्रकाशन के उपरांत श्री प्रदीप कुमार कंडिया द्वारा सूचित किया गया है कि आवेदक द्वारा पुपरी से भिठामोड़ मार्ग की दूरी गलत दर्शाया गया है। | सॉफ्टवेयर में पुपरी से भिठामोड़ की दूरी 20 कि०मी० प्रदर्शित हो रहा है। | स्वीकृत। |
| 27 | श्री शशि रजन कुमार, पिता-श्री हेमचंद्र झा, पता-वार्ड नं०-09, नियर हनुमान मंदिर बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी। बेनर का नाम-MMPPY | बी.आर. 30 पी.ए.-5351 01.08.2024 मॉडल 2023 | बी.आर. 30 पी.ए.-5351 टैक्स-23.04.2025 फिटनेश-31.07.2026 इन्श्युरेंस-30.07.2025 प्रदूषण-31.07.2025 वीएलटीडी-02.08.2026 एच0एस0आर0पी0-है जुमाना- नहीं। | मार्ग संख्या-2344 बेलसण्ड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी, प्रतिदिन आठ खेप जाना आना। बेलसण्ड प्र0-07.00, 08.04, 09.37, 11.00, 11.50, 13.45, 14.58, 16.35, सीतामढ़ी प्र0-07.25, 08.33, 10.12, 11.12, 12.15, 14.16, 15.50, 17.30, | आपत्तिकर्ता श्री धीरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 24 पी.-5912 परमिट सं०-बी0आर0 2023 एस0सी0-2927ए0 मार्ग सं०-2344, बेलसंड से सीमातट्टी आपत्तिकर्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अन्तर्गत क्रय किया गया है जिसका अधिसूचित मार्ग भिन्न है। आवेदक ने अलग मार्ग पर आवेदन दिया है। आवेदक के द्वारा छठा खेप में परसौनी प्र0-13:54 आपत्तिकर्ता छठा खेप में परसौनी प्र0-13:55 आवेदनकर्ता के पिता के नाम से निर्बंधित वाहन बी0आर0 06 पी0-8119 पर अगस्त 2002 से टैक्स बकाया है। | बी.आर. 24 पी.-5912 टैक्स-04.04.2025 फिटनेश-18.03.2025 इन्श्युरेंस-22.02.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-07.10.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुमाना- नहीं। बी0आर0 06 पी0-8119 टैक्स-28.02.2025 | छठा खेप में परसौनी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। आवेदक पर कोई टैक्स बकाया का उल्लेख नहीं है। | परिवहन विभाग पटना के पत्रांक-14344 दि०-11.12.2024 के आलोक में MMPPY अन्तर्गत वाहन का परिचालन अपने प्रखंड से होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक किया जा सकता है। | स्वीकृत। |

६

४

५

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / निक्कन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अभ्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|---|--|---|--------|-------------------------------|--------------------|--|-----------|
| 28 | श्रीमती रीता देवी, पति—श्री चन्द्रशेखर कुमार, पता—बखरा, सरैया, जिला—मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम—माँ जानकी। | बी.आर. 06 पी.जी.—5740 28.01.2025 मॉडल 2024 | बी.आर. 06 पी.जी. —5740 टेक्स—26.04.2025 फिटनेस—27.01.2027 इन्श्युरेंस—27.01.2026 प्रदूषण—27.01.2026 वीएलटीडी—25.02. 2027 एच0एस0आर0पी0—है। जुर्माना— नहीं। | मार्ग संख्या—4718 सिंगाही से मुजफ्फरपुर। भाया—उरती, मदन छपड़ा, फतेहाबाद, जाफरपुर, बसैठा, अम्बरा, बखरा, सरैया, भगवानपुर चौक, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। सिंगाही प्र०—04.42, 09.56, 16.25, मुजफ्फरपुर प्र०—07.33, 12.25, 17. 58, | | | | न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। | अस्वीकृत। |

३

१

०

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अभ्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 29 | श्री रौशन कुमार, पिता-श्री सचेन्द्र पासवान, पता-वार्ड नं०-02, रून्नीसैदपुर, देउना खुरो रेलवे क्रॉसिंग, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-MMPPY | बी.आर. 30 पी. ए.-4895 23.02.2024 मॉडल 2023 | बी.आर. 30 पी. ए.-4895 टैक्स-21.05.2025 फिटनेश-22.02.2026 इन्श्युरेंस-22.02.2026 प्रदूषण-22.02.2025 वीएलटीडी-11.02.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-MMPPY 97 खंगुराडीह से इमलीचट्टी। भाया-पहसोल, भलूरा, रामनगर, औराई, रून्नीसैदपुर, जनार, कोवाही, न्यू जीरोमाईल, प्रतिदिन दो खेप आना जाना। खंगुराडीह प्र०-05.20, 12.40, इमलीचट्टी प्र०-09.58, 16.51, | 1. आपत्तिकर्ता श्री सुनिल कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.ए.-5356 परमिट सं०-बी0आर0 2024 एस0सी0-2048ए0 आवेदक द्वारा खंगुराडिह से इमलीचट्टी का प्रकाशन कराया गया है, जबकि MMPPY का परिचालन प्राइवेट बस स्टैण्ड से होता है। वाहन स्वामी का घर सीतामढ़ी जिला में है एवं उनके घर से निकटवर्ती जिला मुख्यालय की दूरी 30 कि०मी० है, जबकि अपने वाहन का समय-सारणी का प्रकाशन दूसरे जिला के मुख्यालय की दूरी 40 कि०मी० है। वाहन का प्रकाशन में समय-सारणी एरर है। 2. आपत्तिकर्ता श्री राकेश कुमार, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.जी.-7961 परमिट सं०-बी0आर0 2023 एस0सी0-0323ए0 रिगा से मुजफ्फरपुर। आवेदक न्युजिरोमाईल प्र०-17:25 आपत्तिकर्ता न्युजिरोमाईल प्र०-17:37 समय अन्तराल 10 मिनट। वाहन स्वामी द्वारा औराई प्र०:18:52 एवं रामनगर आगमन प्र०-16:56 का प्रकाशन कराया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। | बी.आर. 06 पी.ए.-5356 टैक्स-14.05.2025 फिटनेश-04.11.2025 इन्श्युरेंस-16.06.2025 प्रदूषण-03.01.2026 वीएलटीडी-23.09.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। बी.आर. 06 पी.जी.-7961 टैक्स-23.03.2025 फिटनेश-02.01.2027 इन्श्युरेंस-27.12.2025 प्रदूषण-02.01.2026 वीएलटीडी-15.01.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | MMPPY रूट पर केवल-MMPPY वाहन स्वामियों के आपत्ति मान्य है। आपत्ति अमान्य। एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री रौशन कुमार द्वारा सूचित किया गया है कि तकनीकी खराबी के कारण रामनगर प्रस्थान 18:56 के स्थान पर 16:56 अंकित हो गया है। | मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु प्राथमिकता के आधार पर परमिट निर्गत करने का विभागीय निदेश प्राप्त है। | आवेदक के अनुरोध के आलोक में आवेदन अस्वीकृत। |

४ ५ ७

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर | वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अम्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|--|---|--|--|---|--|-------|------------------------|
| 30 | श्री मनोज कुमार यादव, पिता-रघु चंद्रेश्वर राय, पता- बीबीगंज, भगवानपुर, सदर, जिला-मुजफ्फरपुर। बेनर-नितु राजा। | बी.आर. 06 पी.एफ.-0915 10-02-2021 मॉडल 2020 | बी.आर. 06 पी.एफ.-0915 टेक्स-09.05.2025 फिटनेश-08.02.2027 इन्श्युरेंस-22.02.2026 प्रदूषण-18.02.2026 वीएलटीडी-20.02.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-3792 पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड, रौशनपानापुर, कॉटी, चहना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोठी, मोतिहारी, छपवा, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र0-21.55 बेतिया प्र0-,11.22 | आपत्तिकर्ता श्री सुरेश कुमार, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी.ई. 4351 परमिट सं0-0235/2014, मार्ग सं0-3782 मधुवन से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-12:32 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-12:34 समय अन्तराल 02 मिनट। | बी.आर. 06 पी.ई. 4351 टैक्स-04.05.2025 फिटनेश-01.05.2025 इन्श्युरेंस-28.04.2025 प्रदूषण-01.10.2025 वीएलटीडी-16.04.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं। | एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री मनोज कुमार द्वारा सूचित किया गया है कि आपत्तिकर्ता का मार्ग भिन्न है एवं समय-सरणी दोपहर का है। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-00:32 एवं आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-12:32 है। आपत्तिकर्ता के वाहन का परिचालन आवंटित मार्ग एवं समय-सारणी के अनुरूप नहीं किया जाता है। | | जॉच हेतु निर्णय लंबित। |

४ ४ ४

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर | वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अम्बुक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--|
| 31 | श्रीमती रेणु सिंह, पति-श्री सतीश कुमार सिंह, पता- ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बेनर का नाम-N/A | बी.आर. 06 पी. बी.-7145 16.04.2013 मॉडल 2013 | बी.आर. 06 पी. बी.-7145 टैक्स-09.04.2025 फिटनेश-15.06.2025 इन्श्युरेंस-25.11.2025 प्रदूषण-02.12.2025 वीएलटीडी-03.10.2025 एच0एस0आर0पी0-है। जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-4880, पटना से भिटाभोर। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, सरैया, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, झपहा, रुन्नीसैदपुर, गाढ़ा, बोहा चौक, डुमरा, सीतामढ़ी, सुरसंड, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-06.22, भिटाभोर प्र०-14.33, | 1. आपत्तिकर्ता श्री श्याम सुन्दर ठाकुर, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.बी.-2139 परमिट सं०-बी0आर0 2024 एस0सी0-2144ए, मार्ग सं०-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-15.51, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-15.50 समय अन्तराल 01 मिनट। | बी.आर. 06 पी.बी.-2139 टैक्स-04.04.2025 फिटनेश-28.06.2025 इन्श्युरेंस-03.07.2025 प्रदूषण-04.09.2025 वीएलटीडी-10.07.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। | सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। | आवेदित वाहन परमिट से आवृत है। परमिट प्रत्यर्पन नहीं किया गया है। परमिट सं०-0408/2013 मैनुअल परमिट। वैधता-01.10.2028 | आपत्ति 01 के आलोक में खेप कटाव के कारण अस्वीकृत। |
| | | | | | 2. आपत्तिकर्ता श्रीमती मधुमाला, वाहन सं०-बी.आर. 30 पी.ए.-0188 परमिट सं०-0138/2011, मार्ग सं०-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-15.51, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-15.54 समय अन्तराल 03 मिनट। | बी.आर. 30 पी.ए.-0188 टैक्स-10.03.2025 फिटनेश-22.09.2026 इन्श्युरेंस-10.03.2025 प्रदूषण-17.03.2025 वीएलटीडी-17.07.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। | सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। | | |
| | | | | | 3. आपत्तिकर्ता श्री विनय कुमार सिंह, वाहन सं०-बी.आर. 30 पी.ए.-5551 परमिट सं०-बी0आर0 2024 एस0सी0-1366ए0, मार्ग सं०-2740 डाउन, भिटाभोर से सीतामढ़ी। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-11.20, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-11.23 समय अन्तराल 03 मिनट। | बी.आर. 30 पी.ए.-5551 टैक्स-27.02.2026 फिटनेश-27.05.2026 इन्श्युरेंस-28.04.2025 प्रदूषण-27.05.2025 वीएलटीडी-06.05.2026 एच0एस0आर0पी0-है। जुर्माना-नहीं। | सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। | | |
| | | | | | 4. आपत्तिकर्ता श्री शंकर प्रसाद सिंह वास्ते मेसर्स आलोक ट्रेवल्स, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.डी.-5516 परमिट सं०-578/08 मार्ग सं०-2471, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-15.51, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-15.56 समय अन्तराल 05 मिनट। | बी.आर. 06 पी.डी.-5516 टैक्स-05.03.2025 फिटनेश-08.09.2025 इन्श्युरेंस-05.09.2025 प्रदूषण-28.10.2025 वीएलटीडी-03.08.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। | सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 05 मिनट जबकि 07 मिनट आवश्यक। | | |

३ ५ २

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अम्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|---|---|--|--------|-------------------------------|--------------------|---|--|
| 32 | श्री संजय कुमार द्विवेदी, पिता- श्री मुरत द्विवेदी, पता- अरेराज, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-N/A | बी.आर. 05 पी.बी.-3575 28.02.2020 मॉडल 2019 | बी.आर. 05 पी.बी.-3575 टेक्स-26.02.2025 फिटनेस-29.03.2026 इन्श्युरेंस-04.02.2026 प्रदूषण-01.07.2025 वीएलटीडी-07.11.2025 एच0एस0आर0पी0-है। जुर्माना-2500/ | मार्ग संख्या-4728 डाउन। मोतिहारी से अरेराज। भाया-तुरकौलिया, गायघाट, भटियरिया, प्रतिदिन तीन खेप आना जाना। मोतिहारी प्र०-07.35, 12.40, 17.04, अरेराज प्र०-09.55, 14.27, 17.40, | | | | आवेदक के द्वारा अद्यतन मोटरयान निरीक्षक जाँच प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया है। | MVI जाँच प्रतिवेदन एवं रू०-10000/- जुर्माना जमा करने की शर्त पर स्वीकृत। |

६ १ ३

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/निकलन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अग्र्युक्ति | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|---|--|---|--|--|--|---------------------------------------|-----------|
| 33 | श्री धर्मेन्द्र कुमार, पिता- श्री राम इकबाल-राय, पता-बैंगना, पिंदोली, औराई, जिला- मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-पियुष। | बी.आर. 06 पी. सी.-6218 30.06.2015 मॉडल 2015 | बी.आर. 06 पी. सी. -6218 टैक्स-19.03.2025 फिटनेश-29.06.2025 इन्श्युरेंस-18.04.2025 प्रदूषण-26.07.2025 वीएलटीडी-26.06.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना- नहीं। | मार्ग संख्या-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमाईल, सहवाजपुर, द्रोगपुर, झपहॉ, कोरलहिया जनार, रून्नी सैदपुर, गाछी, महुआ, रायपुर। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर-05.07, 09.26, 14.26, 18.17, पुपरी प्र0-07.08, 11.41,16.13, 20.05, | 1. आपत्तिकर्ता श्री सुनील कुमार दिवाकर, वाहन सं0-बी.आर. 27 पी.-4222 मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक महुआगॉछी प्र0-20.31, आपत्तिकर्ता महुआगॉछी प्र0-20.30 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि मेरे द्वारा उक्त मार्ग पर दिनांक 09.12.2024 को आवेदन दिया गया था। प्राधिकार के बैठक दिनांक 11.01.2025 में क्रमांक-47 पर विभागीय मार्गदर्शन की प्रत्याशा में निर्णय लंबित है। आवेदित वाहन लगभग 10 वर्ष पुराना है। नियमानुसार उक्त वाहन को 400 कि०मी० दूरी निर्धारित है, जबकि आवेदित दूरी 464 है। | बी.आर. 27 पी.-4222 टैक्स-11.04.2025 फिटनेश-06.03.2026 इन्श्युरेंस-08.12.2025 प्रदूषण-01.07.2025 वीएलटीडी-14.06.2026 एच0एस0आर0पी0- नहीं। जुर्माना- नहीं। | महुआगॉछी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | |
| | | | | | 2. आपत्तिकर्ता श्री संजीव कुमार, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी. जी.-5492 परमिट सं0-बी0आर0 2025 एस0सी0-0266ए, मार्ग सं0-4860 डाउन, मुजफ्फरपुर से मधवापुर। आवेदक महुआगॉछी प्र0-15.42, आपत्तिकर्ता महुआगॉछी प्र0-15.43 समय अन्तराल 01 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन लगभग 10 वर्ष पुराना है। नियमानुसार उक्त वाहन को 400 कि०मी० दूरी निर्धारित है, जबकि आवेदित दूरी 464 है। | बी.आर. 06 पी. जी.-5492 टैक्स-26.03.2025 फिटनेश-01.01.2027 इन्श्युरेंस-30.12.2025 प्रदूषण-01.01.2026 वीएलटीडी-25.02.2027 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना- नहीं। | महुआगॉछी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 01 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | आवेदित दूरी अनुमान्य दूरी से अधिक है। | अस्वीकृत। |
| | | | | | 3. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी. जी.-1108 परमिट सं0-बी0आर0 2024 एस0सी0-1363ए, मार्ग सं0-226 डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी। आवेदक रून्नीसैदपुर प्र0-10.32, आपत्तिकर्ता रून्नीसैदपुर प्र0-10.32 समय अन्तराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन लगभग 10 वर्ष पुराना है। नियमानुसार उक्त वाहन को 400 कि०मी० दूरी निर्धारित है, जबकि आवेदित दूरी 464 है। | बी.आर. 06 पी. जी.-1108 टैक्स-01.04.2025 फिटनेश-02.01.2026 इन्श्युरेंस-01.01.2026 प्रदूषण-03.01.2026 वीएलटीडी-03.01.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना- नहीं। | रून्नीसैदपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल समान, जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | |

✍ ✍ ✍

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | कार्यालय अस्थिति | विवरण | निर्णय |
|-------------|---|--|--|---|---|---|---|-------|----------|
| 34 | श्रीमती सरिता देवी, पति- श्री चंद्र-भूषण सिंह, पता-केसरिया टोला, केसरिया, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-N/A | बी.आर. 06 पी. ए.-2953 07.07.2010 मॉडल 2010 | बी.आर. 06 पी. ए.-2953 टैक्स-06.04.2025 फिटनेश-21.07.2025 इन्श्युरेंस-18.07.2025 प्रदूषण-21.02.2025 वीएलटीडी-27.02.2026 एच0एस0आर0पी0-है। जुर्माना-नही। | मार्ग संख्या-2766 साहेबगंज से मोतिहारी। भाया-केसरिया, खजुरिया, कोटवा, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। साहेबगंज प्र0-08.00 मोतिहारी प्र0-14.05, | 1. आपत्तिकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी. एफ.-5533 परमिट सं0-बी0आर0-2024-एस0सी0-2052ए, मार्ग सं0-2465, सीवान से रक्सौल। आवेदक खजुरिया प्र0-09.22 आपत्तिकर्ता खजुरिया प्र0-09.25 समय अन्तराल 03 मिनट। | बी.आर. 06 पी. एफ.-5533 टैक्स-29.04.2025 फिटनेश-06.02.2027 इन्श्युरेंस-06.02.2026 प्रदूषण-15.02.2026 वीएलटीडी-08.02.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना- नही। | आपत्तिकर्ता का खजुरिया मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 03 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | स्वीकृत। |
| | | | | | 2. आपत्तिकर्ता श्री देवेन्द्र कुमार, वाहन सं0-बी.आर. 06 पी. सी.-9747 परमिट सं0-बी0आर0 2024 एस0सी0-2973ए, मार्ग सं0-2465, सीवान से रक्सौल। आवेदक मोतिहारी प्र0-14.05 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0-14.09 समय अन्तराल 04 मिनट। | बी.आर. 06 पी. सी.-9747 टैक्स-08.04.2025 फिटनेश-18.09.2025 इन्श्युरेंस-06.09.2025 प्रदूषण-26.07.2025 वीएलटीडी-23.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना- नही। | आपत्तिकर्ता का मोतिहारी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 04 मिनट जबकि 03 मिनट आवश्यक। | | |

३

४

५

कार्यावली संख्या-3(i) - परिशिष्ट-IV

| एजेंडा क्र० | वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर | वाहन संख्या/नियंत्रण की तिथि एवं मॉडल | वैधता | मार्ग एवं समय सारणी | आपत्ति | माह दिसम्बर 2024 का लंबित आवेदन पत्रों पर विचार | | | |
|-------------|--|---|--|---|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण। | अभ्युक्ति | कार्यालय अम्युक्ति वाले वाहन का विवरण | निर्णय |
| 47 | श्री सुनील कुमार दिवाकर, पिता-शिव कुमार राय, ग्राम-अखतियारपुर मोहन, थाना-कुढ़नी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-नीतू राजा। | बी०आर०-27-पी०-4222 27.04.2017 मॉडल-2017 | बी०आर०-27-पी०-4222 टैक्स-11.04.2025 फिटनेश-06.03.2026 इन्श्युरेंस-08.12.2025 प्रदूषण-01.07.2025 वीएलटीडी-14.06.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं। | मार्ग संख्या-226 मुजफ्फरपुर से पुपरी। भाया-न्यु जिरोमार्डल, सहवाजपुर, द्रोणपुर, अपहॉ, कोरलहिया जनार, रुन्नी सैदपुर, गाछी, महुआ, रायपुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर-06:18, 11:26, 17:28 पुपरी प्र०-09:30, 15:30, 20:00 | 1. आपत्तिकर्ता प्रसुन कुमार वास्ते पियुष, वाहन सं०-बी०आर० 30 पी०ए०-2431, आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-17:28 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-17:30 समय अन्तराल 2 मिनट। परमिट निर्गत नहीं है। आपत्तिकर्ता का कहना है कि दिनांक 30.05.2023 के कार्यवाही क्रमांक 2 पर स्वीकृत है। पूर्व अध्यक्ष द्वारा रोक लगाया गया था। | 1. बी०आर० 30 पी०ए०-2431 टैक्स-30.04.2025 फिटनेश-16.11.2025 इन्श्युरेंस-29.09.2025 प्रदूषण-07.12.2025 वीएलटीडी-29.07.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं। | आपत्तिकर्ता के वाहन का परमिट आवेदित मार्ग पर निर्गत नहीं है, जबकि पुपरी से मुजफ्फरपुर मार्ग पर निर्गत है। मार्ग सं०-3754, परमिट सं०-बी०आर० आपत्ति मान्य नहीं। | | जाँच हेतु निर्णय लंबित। |
| | | | | | 2. आपत्तिकर्ता प्रसुन कुमार, वाहन सं०-बी०आर० 30 पी०ए०-2428, आवेदक पुपरी प्र०-15:30 आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-15:35 समय अन्तराल 5 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि दिनांक 30.05.2023 के कार्यवाही क्रमांक 5 पर स्वीकृत है। पूर्व अध्यक्ष द्वारा रोक लगाया गया था। | 2. बी०आर० 30 पी०ए०-2428, टैक्स-30.04.2025 फिटनेश-16.11.2025 इन्श्युरेंस-03.05.2025 प्रदूषण-11.02.2026 वीएलटीडी-29.07.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं। | आपत्तिकर्ता के वाहन का परमिट निर्गत नहीं है। आपत्ति मान्य नहीं। | | |

★ ✍ ✍

अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।

| क्र० | वाहक का नाम एवं पुरा पता | वाहन संख्या | शुल्क | मार्ग | आपत्ति | विवरण | अभ्युक्ति | निर्णय |
|------|--|--|----------------------|---|--|--|--|----------|
| 1 | श्री उमा कान्त कुमार सिंह, पिता-किशोरी सिंह, पता-मठिया जिरात, थाना-छतौनी, जिला-मोतिहारी। | BR05PA-2260 परमिट संख्या- BR2024-SC- 0101A टैक्स-13.05.2025 फिटनेश-27.02.2025 इन्श्युरेंस-13.11.2025 प्रदुषण-28.08.2025 वी.एल.टी.डी.-17.01.2026 जुर्माना- नहीं। | 3500/- 08.02.2025 | मार्ग संख्या-4077 डाउन, मोतिहारी से सिवान, भाया-खजुरिया, महमदपुर, गोपालगंज, मीरगंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। मोतिहारी से सिवान। मोतिहारी प्र०-07:27 सिवान प्र०-11:30 | आपत्तिकर्ता रमेश महतो वाहन सं०-बी०आर० 06 पी०एफ०-2419, परमिट सं०-2465, परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-2476ए० रक्सौल से सिवान। आवेदक सिवान प्र०-11:30 आपत्तिकर्ता सिवान प्र०-11:35 समय अन्तराल 05 मिनट। | बी०आर० 06 पी०एफ०-2419 टैक्स-26.04.2025 फिटनेश-12.03.2026 इन्श्युरेंस-28.10.2025 प्रदुषण-06.01.2026 वी.एल.टी.डी.-10.03. 2026 जुर्माना-नहीं। | | स्वीकृत। |
| 2 | श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता-स्व० भारत भूषण सिंह, पता-झखड़ा, पिपराकोठी, जिला-मोतिहारी। | BR05P-9583 परमिट संख्या- BR2024-SC- 2766A टैक्स-02.05.2025 फिटनेश-05.08.2025 इन्श्युरेंस-04.10.2025 प्रदुषण-03.09.2025 वी.एल.टी.डी.-07.10.2025 जुर्माना- नहीं। | 3500/- 08.02.2025 | मार्ग संख्या-4077 डाउन, मोतिहारी से सिवान, भाया-खजुरिया, महमदपुर, गोपालगंज, मीरगंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। मोतिहारी से सिवान। मोतिहारी प्र०-10:21 सिवान प्र०-14:06 | आपत्तिकर्ता अभिषेक कुमार वाहन सं०-बी०आर० 05 पी०बी०-0220, परमिट सं०-4077, परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-237ए० सिवान से मोतिहारी। आवेदक मोतिहारी प्र०-10:21 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-10:26 समय अन्तराल 05 मिनट। | बी०आर० 05 पी०बी०-0220 टैक्स-29.04.2025 फिटनेश-04.04.2025 इन्श्युरेंस-12.03.2025 प्रदुषण-07.01.2026 वी.एल.टी.डी.-26.03.2025 जुर्माना- नहीं। | आपत्तिकर्ता के वाहन का आर०सी० के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाहन स्कूल बस में निबंधित है। नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु सारण प्राधिकार को अनुरोध किया जा सकता है। | स्वीकृत। |


५


६

७

| कार्यावली सं० (3)(ii) | | परिशिष्ट-V | | | | |
|-----------------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------|----------|
| एजेन्ट अनुज्ञप्ति | | | | | | |
| क्र० संख्या | आवेदक का नाम एवं पता | आधार संख्या | शुल्क | चरित्र प्रमाण-पत्र | अभ्युक्ति | निर्णय |
| 1 | श्री इन्द्रमोहन सिंह, पिता-महेन्द्र सिंह, पता-महुआ सिंह राय, पो०+थाना-महुआ, जिला-वैशाली। | 347534637569 | 3500/- 26.12.2024 | पुलिस अधीक्षक, वैशाली का प्रमाण पत्र संख्या-BCHC/2024/1164779 दिनांक-09.12.2024 | नवीकरण अनुज्ञप्ति। | स्वीकृत। |

अपर समाहर्ता (प्रिजिस्व)
-सह-सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।


28-02-25
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।


28/02/2025
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।